www.dhyeyaias.com

अगस्त 2020 | अंक 02

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

एक अवलोकन

2 संवेदनशील लोगों के अधिकार : समान व्यवहार की आवश्यकता

3 कोविड–19 का ग्रामीण भारत में प्रसार

4 चीन–ईरान संबंध और भारत की चिंताएँ

5 भारत–दक्षिण कोरिया संबंध : एक नया अध्याय

6 चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते मतभेद

7 भारत की बाढ़ प्रबंधन योजना का मूल्यांकन

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

PERFECT 7 Weekly Current Affairs

ध्येय IAS most trusted since 2003

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7
साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

अगस्त ⊙ 2020 | अंक ⊙ 02

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक अवलोकन
- संवेदनशील लोगों के अधिकार : समान व्यवहार की आवश्यकता
- कोविड–19 का ग्रामीण भारत में प्रसार
- चीन–ईरान संबंध और भारत की चिंताएँ
- भारत–दक्षिण कोरिया संबंध : एक नया अध्याय
- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते मतभेद
- भारत की बाढ़ प्रबंधन योजना का मूल्यांकन

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें 24–27

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 28

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 29

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 30

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को मंजूरी प्रदान की है।

भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास

- स्वतंत्रता के पश्चात कई शिक्षा आयोग के गठन और उनकी सिफारिशों के बाद अंततः भारत सरकार ने अपनी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जारी की।
- 1976 में 42वाँ संविधान संशोधन किया गया और शिक्षा को संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। इस स्थिति में फिर से नयी शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।
- वर्ष 1986 में भारत सरकार ने अपनी शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया, जिसमें सन् 1992 में कुछ संशोधन किये गये।
- नब्बे के दशक में भारत द्वारा वैश्वीकरण को अपनाने के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रतिस्पर्धा विश्व की अन्य शिक्षा प्रणालियों से और बढ़ गयी। 21वीं सदी में भारत में बदलती परिस्थितियों के हिसाब से फिर से एक नयी शिक्षा नीति की जरूरत महसूस की जाने लगी।

भारत सरकार ने नयी शिक्षा नीति बनाने से पहले दो समितियों का गठन किया-

- टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति
- के. कस्तूरीरंगन समिति

- दोनों समितियों की महत्वपूर्ण सिफारिशों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का मसौदा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तैयार किया जिसे 30 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने मंजूरी प्रदान की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

- शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के दस्तावेज को चार भागों में बाँटा गया है-

- स्कूल शिक्षा
- उच्चतर शिक्षा
- अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे
- क्रियान्वयन की रणनीति

स्कूल शिक्षा

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 वर्तमान की '10+2' वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए '5+3+3+4' की एक नयी व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है।
- जिसके तहत क्रमशः फाउंडेशन स्टेज (दो भागों में अर्थात् आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल के 3 साल+प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 व कक्षा 2 में 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित), प्रिपरेटरी स्टेज (कक्षा 3-5, 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित), मिडिल स्कूल स्टेज (कक्षा 6-8, 11 और 14 वर्ष के बच्चों सहित), और सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9-12, 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित) शामिल होगी।
- नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को स्कूली शिक्षा का अंग माना जायेगा और इसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब इसे शिक्षा मंत्रालय नाम दिया जायेगा), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों एवं एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा।
- ईसीसीई के लिए आँगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत किया जायेगा।
- एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा (एनसीपीएफईसीसीई) विकसित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि प्रथम एनजीओ की असर रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी प्रारम्भिक शिक्षा काफी खराब स्थिति में है।
- ईसीसीई के लिए सरकार दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को सशक्त बनायेगी। इसके अतिरिक्त ए विद्यान्जलि जैसी योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में वालंटियर्स को पढ़ाने की अनुमति दी जायेगी।
- ड्राप आउट बच्चों की संख्या को कम करने और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित की जायेगी।
- स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण-शास्त्र को इस प्रकार डिजाइन किया जायेगा ताकि यह विद्यार्थियों में विश्लेषण क्षमता, सीखने की कला आदि का विकास करे।
- छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं, अतः 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा

देना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, सरकार यह भी प्रोत्साहित करेगी कि कक्षा 8 तक मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाये।

- राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यह निर्णय लेंगे कि उनके यहाँ स्कूली शिक्षा में कौन-सी तीन भाषाएँ सिखायी जायें।
- भारत की शास्त्रीय भाषाएँ (यथा-संस्कृत, ओडिया, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम) स्कूल में भाषा सीखने के विकल्प के तौर पर उपलब्ध करायी जायेंगी।
- स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठयचर्या रूपरेखा (एनसीएफएसइ), 2020-21 एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों तथा अग्रणी पाठ्यचर्या आवश्यकताओं के आधार पर हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।
- नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 में ही अंत में स्कूल प्रशासन या अन्य एजेंसी द्वारा परीक्षा ली जा सकेगी (विद्यार्थियों के आकलन हेतु)।
- 10वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित की जायेंगी और विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के बाद अपना प्रदर्शन सुधारने का मौका भी दिया जायेगा।
- एमएचआरडी के तहत एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन एसमीक्षा और विश्लेषण) स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

उच्चतर शिक्षा

- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 में 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नए संस्थान खोले जायेंगे।
- उच्च शिक्षा में उन विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया जायेगा जो बहु-विषयक प्रकृति के हों अर्थात् जहाँ कई विषय पढ़ाये जाते हैं। इससे छात्र एक-दूसरे से कई विषयों का ज्ञान सीख सकेंगे।
- 3000 या इससे भी अधिक छात्रों वाले विश्वविद्यालयों के स्थापना पर जोर दिया जायेगा ताकि ढाँचागत व्यवस्था का सही से विकास हो सके। भारत में प्राचीन काल में बड़ी क्षमता वाले विश्वविद्यालय थे, यथा-नालंदा, तक्षशिक्षा आदि।
- उच्च शिक्षा में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा में जोर दिया जायेगा। एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की सभी क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करना होता है।
- उच्च शिक्षा में मल्टी इन्ट्री एवं एक्जिट प्वाइंट (multi entry and exit point) होंगे अर्थात् विद्यार्थी जब चाहे तब अपने कोर्स को छोड़ सकता है और उसी अनुसार उसे सर्टिफिकेट दिया जायेगा।
- समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए आईआईटी ए आई.आई.टी.एम. आदि की तर्ज पर मेरू (बहु-विषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय) नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
- भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी बल प्रदान किया जायेगा।
- उच्चतर शिक्षा में नियामक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किये जायेंगे ताकि पारदर्शिता आ सके।

अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे

- व्यावसायिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा के साथ मजबूती से जोड़ा जायेगा।
- प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखने पर बल प्रदान किया जायेगा।
- भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन किया जायेगा।
- ऑनलाइन शिक्षा में प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चत किया जायेगा।

क्रियान्वयन की रणनीति

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है जो कि ना केवल शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़े मुद्दों पर व्यापक परामर्श और समीक्षा के लिए एक फोरम प्रदान करता हैय बल्कि इसके कहीं अधिक वृहद् उद्देश्य हैं।
- इस नीति के क्रियान्वयन को कई निकायों, जिनमें एमएचआरडी, कैब ए केंद्र एवं राज्य सरकारें, शिक्षा सम्बन्धी मंत्रालय, राज्यों के शिक्षा विभाग, बोर्ड्स, एनटीए, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा के नियामक निकाय, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षण संस्थान शामिल हैं, द्वारा आपसी समन्वयन व तालमेल के माध्यम से इसके भाव एवं प्रयोजन सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया जायेगा।

आगे की राह

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने एवं भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है; अतः सरकार को इसके सफल क्रियान्वयन पर बल देना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों की विस्तारपूर्वक चर्चा करें।

02 संवेदनशील लोगों के अधिकार : समान व्यवहार की आवश्यकता

संदर्भ

- कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। यह संकट सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अंतर्गत प्राप्त की गई सफलताओं को धूमिल करता जा रहा है। इस महामारी ने मौजूदा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को और बढ़ा दिया है। वंचित समूहों के लिए यह संकट अधिक कष्टदायी है। इन वंचित समूहों में महिलाएं और लड़कियां, किशोर, तृतीय लिंगी या ट्रांसजेंडर समुदाय (LGBTQI), बुजुर्ग, विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और निम्न आय वाले लोग आदि शामिल हैं।
- जानकारों का मानना है कि कोविड-19 महामारी का स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव अल्पकालिक से मध्यकालिक है, लेकिन संवेदनशील वर्गों पर इसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है।

महिलाओं और लड़कियों पर कोविड-19 का प्रभाव

- **यौन और प्रजनन स्वास्थ्य:** कोविड-19 के पहले वैश्विक स्तर पर देखा जाये तो 214 मिलियन महिलाएं और लड़कियां गर्भावस्था से बचने के लिए आधुनिक गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं कर पा रही थीं। कोविड-19 महामारी के कारण किए गए देशव्यापी लॉकडाउन और आवाजाही में लगे प्रतिबंधों के कारण यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं (गर्भनिरोधक; गर्भावस्था सेवाएं) बाधित हुई हैं, जिससे प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और गर्भनिरोधकों की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पायी है।
- इसके अलावा संक्रमण फैलने की आशंका के परिणामस्वरूप महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान देखभाल जैसी सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ है जिसके कारण मातृ मृत्युदर (MMR) बढ़ने की आशंका है।
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि मार्च में कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के बाद से नौ महीने के भीतर (दिसंबर तक) भारत में कुल दो करोड़ से ज्यादा बच्चों के जन्म होने की संभावना है। यूनिसेफ के अनुसार इस दौरान पैदा होने वाले बच्चे प्रभावित स्वास्थ्य सेवाओं के संकटों का सामना कर सकते हैं। एशिया में गर्भनिरोधकों के बड़े निर्माताओं को उत्पादन कम करना या कम क्षमता पर संचालित करना पड़ा है, जिससे गर्भनिरोधक पहुंच पर गंभीर असर पड़ेगा।
- **लिंग आधारित हिंसा:** संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में घरेलू हिंसा के मामले बीस प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव से पहले भी आंकड़े स्पष्टता से इस समस्या को बयां करते रहे हैं। दुनिया भर में करीब एक-तिहाई महिलाएं अपने जीवन में किसी ना किसी रूप में हिंसा का अनुभव करती हैं। यह मुद्दा विकसित और निर्धन, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लॉकडाउन के दौरान शिकायतों में इजाफा दर्ज किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्लेषण दर्शाता है कि महिलाओं के शारीरिक, यौन, प्रजनन और मानसिक स्वास्थ्य पर हिंसा का गहरा असर पड़ता है। शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं का गर्भपात होने या उनके मानसिक अवसाद में घिरने की आशंका दोगुनी हो जाती है।
- **किशोरों पर प्रभाव:** यूनिसेफ के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया में 60 करोड़ से ज्यादा बच्चों के लिए नई चुनौतियाँ पैदा हो गई हैं। खाद्य असुरक्षा, पोषण, टीकाकरण और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान आने से अगले छह महीनों के भीतर साढ़े चार लाख से ज्यादा बच्चों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न होने की आशंका है। इसके साथ ही कोविड-19 के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।
- शिक्षण संस्थाएं लंबे समय से बंद हैं साथ ही घरेलू स्तर पर गंभीर आर्थिक तनाव भी है जिसके कारण कई लड़कियों को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। कोविड-19 सहकर्मी से मेलजोल का अभाव टीम वर्क जैसे समाजीकरण और जीवन कौशल सीखने की क्षमताओं के विकास में बाधा डाल सकता है।
- **बुजुर्गों पर प्रभाव:** बुजुर्ग समूह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस महामारी से सबसे जल्दी प्रभावित होने वाला वंचित समूह है। इनका प्रतिरक्षा तंत्र सबसे कमजोर माना जाता है और महामारी से संबंधित मौतों के लिए ये सबसे कमजोर कड़ी हैं।
- बुजुर्गों के लिए सामान्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में व्यवधान उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है और उम्र से संबंधित बीमारियों को अधिक प्रभावी बना सकता है। सामाजिक अलगाव, बुनियादी जरूरतों के लिए परिवार और सामुदायिक समर्थन की कमी उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर करती है। इसलिए उनकी स्थिति को

ध्यान में रखते हुये स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं जैसे भोजन, पानी, पेंशन आदि सेवाएँ बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए।

- **यौन कर्मियों एवं ट्रांसजेंडर समुदाय पर प्रभाव:** राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के अनुसार, भारत में लगभग 6,37,500 यौन कर्मी हैं और पांच लाख से अधिक ग्राहक दैनिक आधार पर रेड-लाइट क्षेत्रों का दौरा करते हैं। लेकिन कोरोनावायरस महामारी के चलते इनका भविष्य अंधकार में है। हमारे देश में एक निश्चित दायरे में ही सेक्सवर्क को मान्यता प्राप्त है लेकिन इसे अभी तक रोजगार का दर्जा नहीं दिया गया है। यही वजह है कि सेक्स वर्कर्स की आर्थिक हालत बहुत दयनीय है। साथ ही देखा जाये तो जीबीरोड के वेश्यालय अपनी अमानवीय परिस्थितियों के लिए भी बदनाम हैं। कोरोना से लड़ने के लिए साफ-सुथरे इलाके में रहना और सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोनोवायरस से लड़ने की कुंजी कहा जा रहा है। लेकिन इन सेक्स वर्कर्स के हालात बिल्कुल इसके उलट हैं। अगर सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का फायदा यौन कर्मियों तक नहीं पहुंच पाता तो ये सरकार की बहुत बड़ी चूक और भेदभावपूर्ण रवैया होगा। आज इस उद्योग में काम करने वाली महिलाएं अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दान पर निर्भर हैं। जिसमें लॉकडाउन के दौरान भोजन और दवा शामिल है। विशेष रूप से एचआईवी/एड्स के इलाज के लिए एंटी रेट्रोवाइरलथेरेपी दवाएं।
- भारत भर में तकरीबन पांच लाख लोग ट्रांसजेंडर समुदाय के हैं। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े इस समुदाय के लोग कोविड 19 के समय गंभीर आर्थिक संकट में हैं। डर, आशंका और असुरक्षा के चलते एक अलग तरह का मानसिक अवसाद भी इन्हें झेलना पड़ रहा है। कोरोना के कारण उपजे स्वास्थ्य आपात काल की इन पर दोहरी मार पड़ी है। इस समुदाय के लोग जिनकी आर्थिक हालत थोड़ी बहुत ठीक है वे तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक हैं परंतु जिनके पास रोटी कमाने का ही मजबूत साधन नहीं है, वे साबुन, शैंपू, सेनिटाइजर, मास्क जैसी जरूरी चीजें कैसे खरीद पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन से इनका काम धंधा तो चौपट हुआ ही, ये अपने समुदाय से भी जुड़ नहीं पा रहे हैं, जिससे कुछ मदद मांग सकें।

आगे की राह

- कोविड-19 ने पूरे समाज को संकट ग्रस्त कर दिया है और इससे साथ मिलकर ही निपटा जा सकता है। इसलिए "हम सब साथ-साथ है" की अवधारणा का अनुपालन करते हुए समाज के सभी वंचित समुदायों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखते हुए काम करना होगा। सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने एवं इन लक्ष्यों की दिशा में अब तक प्रगति को बनाए रखने के लिए इन संवेदनशील वर्गों को कोविड-19 महामारी की आपदा से बचाना होगा। इसके लिए नागरिक समाज एवं सरकार को सक्रिय भागीदारी निभाते हुए एक मंच पर आकर कार्य करना होगा ताकि इसके दुष्प्रभावों को न्यूनतम जा सके।
- मौजूदा संकट और इससे पहले की आपदाओं से अगर कुछ सीखा गया है तो वह यह है कि विपत्तियों में भी मानव अधिकारों और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखा जाना चाहिए जिससे समाज के हर एक वर्ग को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा से जुड़ी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके।
- सरकार को हर प्रकार की पेंशन की राशि में कम से कम 50 फीसदी की बढ़ोतरी करनी चाहिए और एक आपात कालीन पेंशन फंड की व्यवस्था करनी चाहिए. जिसका फायदा एकल महिला, प्रवासी मजदूर, यौनकर्मी, ट्रांसजेंडर, एचआईवी और गंभीर बीमारी से संक्रमित लोगों, बुजुर्गों, विकलांगों, बेघरों इत्यादि को मिल पाए।
- संवेदनशील वर्गों में लक्षणों, प्रसार और सावधानियों के बारे में व्यापक जागरुकता पैदा करने के लिए आशा कर्मचारियों, आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायकों, एएनएम को जुटाने की आवश्यकता है साथ ही उनके वेतन/मान देय में वृद्धि करने के साथ उनके लिए सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
- चूंकि कार्य बल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है, जिसमें से कई इस वक्त काम से बाहर हैं या घर लौट रहे हैं या रोजगार के बिना शहरों में फंस गए हैं। ऐसे लोगों को भोजन और आश्रय की आवश्यकता है। भोजन के लिए, केंद्र सरकार एफसीआई से मुफ्त अनाज और दाल की आपूर्ति कर सकती है। प्रवासी एवं अति संवेदनशील वर्ग इसका इस्तेमाल सामुदायिक रसोई (जैसे तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन, कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में दाल-भात केंद्र) चलाने के लिए कर सकते हैं। इन्हें इन वर्गों द्वारा द्वारा स्व-प्रबंधित कर उन्हें कुछ पैसे कमाने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रभावित लोगों के लिए नए सामुदायिक रसोई घर स्थापित करने हेतु रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक मुख्यालयों को लक्षित करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर 2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. कोविड-19 महामारी का समाज के संवेदनशील वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा है? इन वर्गों के बेहतरी और संक्रमण को रोकने के लिए उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करें।

03 COVID-19 का ग्रामीण भारत में प्रसार

संदर्भ

- 25 मार्च, 2020 से लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन ने शहरों में काम करने वाले ग्रामीणों की जिंदगी में भूचाल ला दिया, रातोंरात बहुत से लोगों की नौकरी चली गई। सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के निलंबित होने से इन प्रवासियों के पास अपने मूल स्थानों की ओर पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसे "भारतीय इतिहास के सबसे बड़े पलायन" के रूप में देखा गया।
- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सहित तमाम चिकित्सा विशेषज्ञ पहले ही आशंका जता चुके हैं कि अगर यह महामारी गांवों में फैली तो उससे निपटना असंभव होगा।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ग्रामीण भारत कोरोनवायरस तेजी से फैल सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के मामलों के बढ़ने के मुख्य कारक

- **प्रवास की उलट प्रवृत्ति:** उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, ओडिशा और झारखंडवे राज्य हैं जहाँ प्रवासियों का उच्चतम उत्प्रवास हुआ है। इन राज्यों में अब कोविड के मामलों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है।
- केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संकलित प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार,शहरी केंद्रों से छह राज्यों के 116 जिलों में लगभग 6.7 मिलियन प्रवासी लौटे हैं।
- **ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का खस्ताहाल बुनियादी ढाँचा:** ग्रामीण भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा बहुत निराशाजनक है। यहाँ डॉक्टरों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल में बिस्तरों और उपकरणों सहित अन्य चिकित्सा पेशेवरों की बहुत कमी है।

- कोविड-19 के अपर्याप्त परीक्षण और क्वारंटीन सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण भारत में यह महामारी विशेष चुनौती प्रस्तुत करती है।
- इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-संचारी रोगों (जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, आदि), संक्रामक रोग (तपेदिक, दस्त, आदि) और कुपोषण का स्तर भी उच्च है।
- कई जिलों के गांवों स्वास्थ्य सुविधा एंव यातायात की उचित व्यवस्था न होने के कारण समय पर कोविड जाँच और उपचार भी उपलब्ध नहीं हो पाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वच्छता जरूरतों का पूरा न होना इस चुनौती को और गंभीर बना देता है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संदर्भ में जागरूकता का अभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता एवं अंधविश्वास के कारण प्रायः कई बीमारियों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। बीमारियों में संस्थागत सुविधाओं से इलाज के बजाय प्रायः झोलाछाप डॉक्टर या झाड़-फूंक का सहारा लिया जाता है।
- इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि रोग के इलाज में बिना डॉक्टर से सलाह लिए मेडिकल की दुकानों से दवा लेकर उसका उपभोग कर लिया जाता है।
- इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में प्रायः स्वच्छता मानकों का अभाव पाया जाता है, इस स्थिति में कोविड-19 का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में काफी चिंता का विषय है।

शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड का प्रसार चिंताजनक क्यों?

- शिक्षा और जागरूकता अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के मामले में शहरों की तुलना में काफी पीछे हैं।
- वहीं दूसरी ओर सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत 'एलडर्ली इन इंडिया 2016' रिपोर्ट के अनुसार 71 प्रतिशत बुजुर्ग गाँवों में रहते हैं और सर्वविदित है कि कोरोनावायरस बीमारी बुजुर्गों के लिए काफी घातक है।
- नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश के करीब 26000 सरकारी अस्पतालों में से 21000 अस्पताल ग्रामीण इलाकों में अवस्थित हैं लेकिन वहीं अगर इसे बेड के संदर्भ में देखा जाए तो जहां पूरे देश में 1700 मरीजों पर एक बेड उपलब्ध है वहीं ग्रामीण इलाकों में यह प्रति 3100 मरीजों पर एक बेड उपलब्ध है।
- शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में क्वारंटाइन एवं आइसोलेशन सेंटर का अभाव स्थिति को और विकट बना देती है।

- स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी अवसंरचना के साथ सड़क एवं परिवहन की निम्न गुणवत्ता भी आपातकालीन स्थितियों में कोविड-19 वायरस के संक्रमण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में हताहत को बढ़ा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के प्रसार को रोकने के उपाय

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को मजबूत बनाना:

- महामारी मौजूदा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) की वास्तविक क्षमता के सही उपयोग और इसके संबद्ध बजट आवंटन में सुधार का अवसर प्रस्तुत करती है।
- ग्रामीण भारत में COVID-19 के प्रभावी प्रबंधन के सभी प्रयासों को NRHM के अंतर्गत रणनीतिक तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे इस प्रक्रिया में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण तंत्र को भी मजबूत किया जा सके।
- चूंकि भारत की 12 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs) पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहुँचती है, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों /ग्रामीण अस्पतालों और COVID-19 के परीक्षण और उपचार सुविधाओं के लिए एक मजबूत रेफरल प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।
- साथ ही 4-5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के समूह में किसी एक में कोविड परीक्षण सुविधा से उपलब्ध उन सभी के बीच समन्वय के माध्यम से परीक्षण और क्वारंटीन सुविधा बढ़ाने की रणनीति अपनायी जा सकती है।
- इस तरह के सीएचसी के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण किट, अभिकर्मकों और संबंधित उपकरणों की व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में COVID-19 का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है।
- सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मियों को निकटतम COVID परीक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है।
- इसके अलावा आरटी-पीसीआर परीक्षणों के लिए नमूने एकत्र करने के लिए नोडल कोविड-19 सीएचसी का एक परीक्षण वाहन सप्ताह के निश्चित दिनों में अपने आस-पास के दो सीएचसी में पूर्व-निर्धारित समय भेजा चाहिए। इससे ग्रामीणों को नियमित रूप से कुछ निश्चित दिनों में कोविड परीक्षण के नमूने देने में परेशानी नहीं होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने में एवं कोविड-19 के संदर्भ में सूचनाओं की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। अतः इन आशा कार्यकर्ताओं को समुचित प्रशिक्षण देकर ग्रामीण लोगों के मध्य स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास करना चाहिए।
- ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के संक्रमित लोगों की त्वरित जांच के लिए अत्यधिक मात्रा में मोबाइल वैन, कैंप शिविर इत्यादि जैसे माध्यमों का अत्यधिक सहारा लेना होगा।

विकेन्द्रीकृत प्रशासन:

- यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोनोवायरस के प्रसार पर अंकुश लगाना है तो प्रशासन को एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पंचायतों के हाथों में प्रभावी निर्णय लेने और कार्यान्वयन की शक्तियों के साथ पूर्व नियोजन और एक विकेन्द्रीकृत प्रशासन को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- क्वारंटीन केंद्रों को स्थापित और कुशलतापूर्वक प्रबंधित किए जाने करने की आवश्यकता है। इसके अलावा निजी और स्थानीय डॉक्टरों को भी COVID-19 के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- इन सबके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए भी पर्याप्त उपाय होने चाहिए कि COVID-19 रोगियों या उनके परिवारों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव अथवा अत्याचार न हो।
- स्व-देखभाल और स्वच्छता सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

- यदि कोविड के मामले मौजूदा दर से बढ़ते रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं अपनाए जाते है तो यह यह भारत और इसकी खराब स्वास्थ्य प्रणाली दोनों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।
- इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को यथासंभव कोविड महामारी के दुष्प्रभावों से अलग रखने के लिए रणनीतिक प्रयास किए जाने चाहिए।
- इसके अलावा हाथों की सफाई और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने साथ ही और अधिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

Topic:
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. ग्रामीण भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उपयुक्त उपायों की चर्चा करें।

04 चीन–ईरान संबंध और भारत की चिंताएँ

चर्चा का कारण

- हाल ही में चीन और ईरान ने गुप्त तौर पर एक व्यापक सैन्य और व्यापार साझेदारी का मसौदा तैयार किया है। दोनों देशों के बीच हुआ यह रणनीतिक और व्यापारिक समझौता अगले 25 वर्षों तक मान्य होगा, यह सौदा अगले 25 वर्षों में ईरान के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कि ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में लगभग 400 बिलियन डॉलर के चीनी निवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा।

चीन और ईरान के ऐतिहासिक संबंध की पृष्ठभूमि

- ईरान और चीन के मध्य संबंध लगभग 200 ईसा पूर्व के आस-पास विकसित हुए, जब पार्थियन (Parthian) और ससानिद (Sassanid) साम्राज्य (वर्तमान ईरान और मध्य एशिया) तथा चीन के हान, तांग, सांग, युआन और मिंग राजवंशों के बीच नागरिक संपर्क स्थापित हुआ था।
- आधुनिक काल मे ईरान और चीन के संबंध लगभग 50 वर्ष पुराने हैं। वर्ष 1979 में हुई ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में स्थापित नई सरकार को चीन ने मान्यता प्रदान की थी, जिसके कारण इन दोनों देशों के आपसी संबंधों में और मजबूती आयी।

ईरान और चीन के बीच 25 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी के भावी प्रावधान

- चीन वन बेल्ट वन रोड पहल के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से ईरान तक अवसंरचना निर्माण को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही नई सिल्क रोड के तहत CPEC के तर्ज पर ईरान को चीन (शिनजियांग से तेहरान) से जोड़ा जायेगा जिससे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए तुर्की के रास्ते यूरोप तक पहुंच की चीन की दूरगामी रणनीति को भी बल प्रदान होगा।
- ईरान में चीन द्वारा 400 अरब डॉलर का निवेश आईटी और दूरसंचार से लेकर बंदरगाहों के विकास और रेलवे नेटवर्क के विस्तार जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर सकता है, जिससे ईरान को आर्थिक और अवसंरचनात्मक तौर पर बहुत लाभ मिल सकता है।

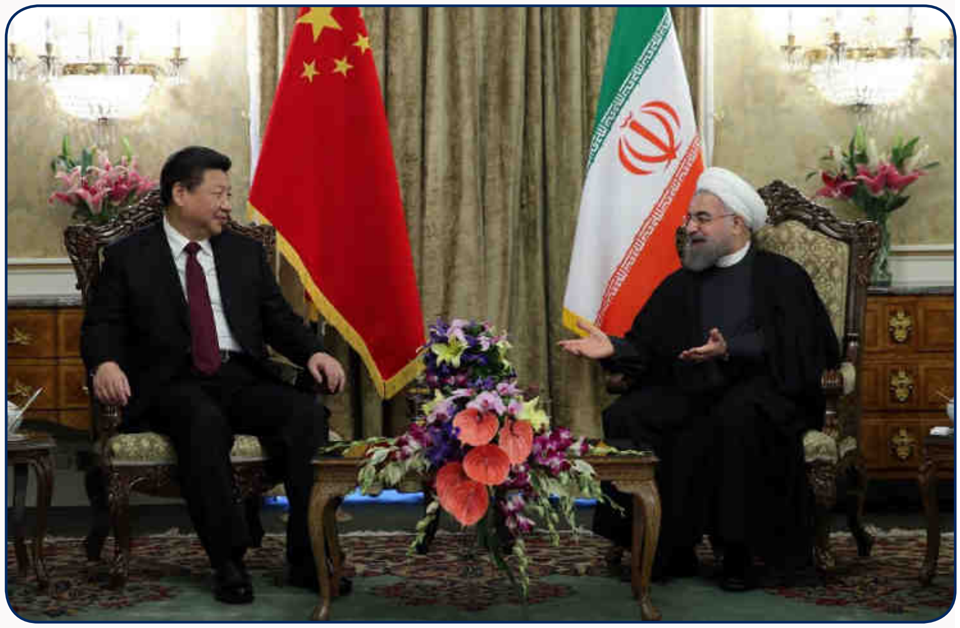

- अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान में विदेशी निवेश लगभग ठप पड़ा है। ऐसे में चीन की वजह से ईरान में विदेशी निवेश, तकनीक और विकास को गति मिलेगी, दूसरी तरफ, कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक देश चीन को ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल और गैस मिलेगी। जापान के निक्की अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ,दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी, विश्व ऊर्जा बाजार को बदलकर रख सकती है। क्योंकि आज भी ऊर्जा और तेल की अंतरराष्ट्रीय समीकरणों में निर्णायक भूमिका है।
- ईरान, दुनिया में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, जबकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ईरानी तेल की चीन में खपत से तेहरान के खिलाफ वाशिंगटन के प्रतिबंध नाकाम होकर रह जायेंगे।
- अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तकरीन 400 अरब डॉलर की इस डील के तहत, ईरान चीन को अगले 25 वर्षों तक बेहद सस्ती दरों पर कच्चा तेल देगा और बदले में चीन ईरान में बड़े स्तर पर निवेश करेगा।
- अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह समझौता ईरान के चीनी सैन्य ठिकानों के लिए भी रास्ता बना सकता है, जो इस क्षेत्र की भौगोलिक राजनीति को मौलिक रूप से बदल सकता है।

चीन और ईरान सबंधों का भारतीय हितों पर प्रभाव

- ईरान और चीन के बीच 25 वर्षीय रणनीतिक और व्यापारिक समझौते के दरम्यान यह खबर भी आई कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है। ईरान ने इसकी वजह भारत की ओर से फंड मिलने में देरी को बताया है।
- ईरान और भारत के बीच चार साल पहले चाबहार से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। अब ईरान ने अपने आप ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला लिया है और इस पर काम शुरू कर दिया है।
- हालांकि ईरान द्वारा बाद में इसका खंडन करते हुए इस तथ्य को निराधार बताया गया लेकिन ईरान और चीन के बढ़ते संबंध भारतीय नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान और चीन के बीच 25 वर्षीय रणनीतिक और व्यापारिक समझौते से भारत को काफी नुकसान होगा

क्योंकि ईरान मे चीन की उपस्थिति भारतीय निवेश व सुरक्षा के लिये मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसके अतिरिक्त, चीन की ईरान में उपस्थिति भारत की मध्य एशिया तक होने वाली पहुँच को बाधित कर सकती है।

- चीनी क्षेत्र में उपस्थिति से अफगानिस्तान में पाकिस्तान,चीन और ईरान समर्थित तालिबान के सत्ता में आ जाने की प्रबल संभावना बनेगी जिससे भारतीय हित गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।
- यहां पर यह भी एक तथ्य ध्यान देना होगा कि अगर अफगानिस्तान में राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना नहीं हुई तो इस दिशा में पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले पश्चिमी सीमा की सुरक्षा से स्वतंत्र होकर अपनी पूर्वी सीमा यानी भारत-पाकिस्तान सीमा पर अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत करेगा जिससे भारत में आतंकवाद संबंधित अन्य घटनाओं में वृद्धि आएगी।
- चीन के इस क्षेत्र में उपस्थिति से भारतीय कंपनियों का ईरान और अफगानिस्तान में रणनीतिक निवेश और व्यापारिक संभावनाओं को भी हतोत्साहित करेगा।

समझौते का पश्चिम एशिया के देशों पर प्रभाव

- पश्चिम एशिया में ईरान, सऊदी अरब और इजराइल ही वे तीन देश हैं जिनका प्रभाव न सिर्फ इस क्षेत्र पर असर डालता है बल्कि इन तीनों के बीच के नाजुक संतुलन में थोड़ा सा अंतर आने से समूचा विश्व अछूता नहीं रहता।
- ईरान में इतने बड़े पैमाने पर चीनी निवेश के कारण सऊदी अरब और इजराइल की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। ऊर्जा के क्षेत्र में 280 बिलियन डॉलर का चीनी निवेश निश्चित ही ईरान को तेल उत्पादन में सऊदी अरब से आगे ले जाने की क्षमता रखता है।
- साथ ही चीन और ईरान का सैन्य सहयोग क्षेत्र के संतुलन को ईरान के पक्ष में कर सकता है। पश्चिम एशिया में ईरान के बढ़ते वर्चस्व से इजराइल की चिंता और भी बढ़ सकती है।

- आर्थिक रूप से संपन्न और सैन्य शक्ति से लैस ईरान इस क्षेत्र में सऊदी अरब एवं इजराइल के प्रभुत्व को निश्चित तौर पर कमजोर कर सकता है।
- इस संदर्भ में ईरान के तात्कालिक भू-आर्थिक वातावरण में चीन की भारी उपस्थिति के साथ-साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को ईरान के पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु होने की ऐतिहासिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है, हालाँकि इसके साथ ही, ईरान को यह भी डर है कि कहीं चीन उसपर आर्थिक रूप से हावी न हो जाए और क्षेत्र में ईरान के उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा कम न हो जाए।

आगे की राह

- विगत कुछ वर्षों से भारत का अमेरिका एवं इजराइल के साथ संबंधों में आई गतिशीलता ने तेहरान को वैकल्पिक रणनीति अपनाने के लिए मजबूर किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत में ईरान से होने वाले तेल का आयात बंद कर दिया है जिसको लेकर भी ईरान को आपत्ति है।
- भारत को अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब के संबंधों के साथ-साथ ईरान के साथ घनिष्ठ संबंधों पर भी बल देना होगा क्योंकि दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनने से भारत को गंभीर सामरिक आर्थिक क्षति हो सकती है।
- भारत को अपनी वैदेशिक नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करनी चाहिए ताकि राष्ट्रीय हितों को मजबूती से साधा जा सके।
- इसके अतिरिक्त, भारत को अपनी वैदेशिक परियोजनाओं (यथा-चाबहार बंदरगाह आदि) को विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य करना होगा, ताकि ईरान समेत सभी पश्चिम एशिया के देशों को यह यकीन हो जाए कि भारत अपनी परियोजनाओं को लेकर प्रतिबद्ध है।
- इसके साथ ही चीन के वन बेल्ट वन रोड इनीशिएटिव को प्रति-संतुलित करने हेतु ईरान और रूस के साथ भारत की प्रस्तावित उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे भारत का अफगानिस्तान समेत मध्य एशिया में व्यापार वाणिज्य को बढ़ाते हुए अपने रणनीतिक हित साध सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:
- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

Topic:
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. चीनी निवेश ने अफ्रीका के केन्या और एशिया के श्रीलंका जैसे देश को कर्जदार बनाकर छोड़ा है। ऐसे में चीन-ईरान संबंधों को लेकर भारत की भूमिका को स्पष्ट करें।

05 भारत–दक्षिण कोरिया संबंध : एक नया अध्याय

चर्चा का कारण

- विगत कुछ वर्षों से भारत और दक्षिण कोरिया संबंधों के बीच में काफी गतिशीलता देखी गई है। संबंधों की यह गतिशीलता शीर्ष स्तर पर राजनीतिक संबंधों के साथ-साथ व्यापारिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होते हैं। हालांकि दोनों देशों में प्रगाढ़ संबंधों के बाद भी इन दोनों देशों के मध्य मात्र 22 बिलियन डॉलर का व्यापार है। वहीं दूसरी ओर अभी भी दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के विरुद्ध सांस्कृतिक पूर्वाग्रह भी विद्यमान है। ऐसे में दोनों देशों को सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गठबंधन को एक नए आयाम से पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच ऐतिहासिक संबंध

- भारत और दक्षिण कोरिया के बीच ऐतिहासिक काल से ही मजबूत राजनयिक तथा आर्थिक सम्बन्ध रहे हैं। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई लेकिन इसका प्रसार चीन, जापान और कोरिया तक हुआ, इस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों को एक-दूसरे को करीब लाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के लोग कोरिया के रीति-रिवाजों और मान्यताओं से पुरातन काल में भी परिचित थे। इस तथ्य की जानकारी चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री 'इत्सिंग के रिकॉर्डों से पता चलती है, जो सन 673 में भारत पहुंचे थे।
- इतिहासकारों का कहना है कि कई वर्ष पहले कोरिया के राजकुमार किम-सुरो का विवाह अयोध्या की राजकुमारी सुरीरत्ना से हुआ था। इससे यह पता चलता है कि भारत और कोरिया के संबंध अत्यंत ही प्राचीन हैं।

आधुनिक काल में भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

- द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 'भारत- दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग' की स्थापना 1996 में की गई थी। इस आयोग की अध्यक्षता दोनों देश के विदेश मंत्री करते हैं। अब तक, संयुक्त आयोग की कई बैठकें हो चुकी हैं। वर्ष 2011 में दक्षिण कोरिया में एक भारतीय सांस्कृति क केंद्र की स्थापना की गई थी ताकि दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित किया जा सके।
- दक्षिण कोरिया ने भारत को अपना विशेष रणनीतिक साझेदार घोषित किया है। इस प्रकार का समझौता दक्षिण कोरिया ने केवल अपने पारंपरिक सहयोगियों (यथा- अमेरिका, जापान आदि) के साथ ही किया है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण कोरिया और भारत के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement) भी है।
- भारत के 'विशेष रणनीतिक साझेदार' बनने के बाद दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों में तेजी से सुधार हुआ है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 2017 के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका था, जो साल 2015 और 2016 में 16 अरब डॉलर के आस पास था। दोनों देशों ने बीते साल द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 2015 के बाद से भारत में कोरियाई निवेश ने भी गति पकड़ी है। कोरियाई कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों में भारत के ऑटो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, तकनीक, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, और अन्य उद्योगों में लगभग 3.5 अरब डॉलर का निवेश निवेश किया है। ये आंकड़े इस बात का भी इशारा हैं कि कोरिया के लिए भारत अब लगातार महत्वपूर्ण बना रहेगा।
- सन 2018 में, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मूनजे-इन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से नोएडा (उत्तरप्रदेश) में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्मार्ट फोन असेंबली कारखाने का उद्घाटन किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना है। उल्लेखनीय है कि एलजी व सैमसंग जैसी कोरियाई कंपनियों ने भारत में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में काफी निवेश किया है और कई कोरियाई निर्माण कंपनियों ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जैसी विभिन्न अवसंरचनात्मक निर्माण योजनाओं में भी निवेश किया है।
- जहाँ एक ओर भारत ने अपनी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के माध्यम से दक्षिण कोरिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा दिया है, वहीं दक्षिण कोरिया भी अपनी 'नई दक्षिणी रणनीति' (New Southern Policy) के माध्यम से भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने पर बल प्रदान किया है।
- नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम के परिसर में भारत-दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र (Technology Exchange Centre) की स्थापना की गई है। इस केंद्र के द्वारा दोनों देश लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में एक-दूसरे की सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोरिया में हजारों प्रवासी भारतीय मौजूद हैं। इसमें व्यवसायी, आईटी पेशेवर, वैज्ञानिक, अनुसंधान अध्येता, छात्र, डॉक्टर आदि शामिल हैं।
- वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए थे जहां उन्हे प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इस तरह दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध काफी मजबूत हुए हैं।

भारत दक्षिण कोरिया संबंधों में चुनौतियाँ

- भारत और दक्षिण कोरिया में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध से जुड़े हैं लेकिन वर्तमान में इन सांस्कृतिक संबंधों के गतिशीलता में कोई व्यापक कदम नहीं उठाया गया है। भारतीय संस्कृति केंद्र (आईसीसी) की स्थापना सिओल में 10 वर्ष पूर्व की गयी थी किन्तु दोनों देशों के मध्य पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट उस लिहाज से आगे नहीं बढ़ पाया है जितनी जानकार उम्मीद कर रहे थे।
- भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य एक दशक पहले ही सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर सहमति बनी लेकिन वो सहमति अभी

कागजों पर ही सीमित है या यू कहें कि इस संदर्भ में खास प्रगति नहीं हुई है।

- इण्डोपैसिफिक क्षेत्र का विश्व व्यापार में सबसे ज्यादा योगदान है लेकिन भारत का इन द्विपीय देशों से संबंध उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। उभरते राजनीतिक हितों और दोनों देशों के बीच संबंध अभी भी क्षेत्रीय और वैश्विक मांग के अनुरूप नहीं हैं।
- दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय तनाव विशेष रूप से भारत और चीन के मध्य तनाव, भारत और दक्षिण कोरिया के लिए चिंता का विषय है।

भारत-दक्षिण कोरिया के संबंधों में विस्तार की संभावनाएं

- दक्षिण कोरिया एक विकसित राष्ट्र है और प्रौद्योगिकी के मामले में भी अग्रणी है, जब कि भारत में अभी विकास की तीव्र सम्भावनाएँ है। ऐसे में दोनों देशों के संयोजन से सम्बन्धों में और करीबीपन लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी ने विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। ऐसे में इस महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए समान विचारधारा वाले देशों (यथा-भारत और दक्षिण कोरिया को एक साथ आना चाहिए।
- भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों में लोकतंत्र है और यहाँ के नागरिक लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण पर बल देत हैं।
- हाल ही में चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति को और आक्रामक कर दिया है। वह न सिर्फ पड़ोसी देशों के साथ सीमाई विवादों यथा- लद्दाख संघर्ष आदि को बढ़ावा दे रहा है बल्कि दक्षिण चीन सागर आदि में स्वतंत्र नौ वहन को भी प्रभावित कर रहा है। दक्षिण कोरिया के नजरिये से देखें, तो भारत और चीन के बीच हाल के तनाव ने दक्षिण कोरिया और भारत को इस क्षेत्र की स्थिरता के मद्देनजर सहयोग का मौका दिया है। दोनों देशों की करीबी की एक वजह यह भी है कि जहां सियोल कोरिया प्रायद्वीप के अपने परमाणु संपन्न पड़ोसी से परेशान है, वहीं भारत के लिए पाकिस्तान और चीन ऐसी चिंता पैदा करता है।
- हाल ही में अमेरिका के द्वारा दक्षिण कोरिया को स्पेस प्रौद्योगिकी में लगे प्रतिबंधों को हटा लिया है। अमेरिका द्वारा यह प्रतिबंध कोरियाई प्रायद्वीप पर उत्तर कोरिया के साथ दक्षिण कोरिया के द्वारा संभावित मिसाइलों के निर्माण की प्रतिस्पर्धा को रोकना था। प्रतिबंध हटने के उपरांत अब दक्षिण कोरिया अपने अंतरिक्ष मिशन को प्रारंभ कर सकता है। भारत को इसमें पहले से ही विशेषज्ञता हासिल है जहां पर दोनों देश मिलकर परस्पर लाभान्वित हो सकते हैं।
- दक्षिण कोरिया के रणनीतिक आकलन से ऐसा लगता है कि वह आसन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर गठबंधन से बाहर भी कूटनीतिक पहल कर रहा है। इस लिहाज से मून प्रशासन का भारत से संपर्क वहां की पिछली सरकारों की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय कदम लगता है। यह इस उत्कट आशावाद से उपजा लगता है, जिसमें उम्मीद है कि नई दिल्ली से रिश्ते की प्रगाढ़ता से वैश्विक और क्षेत्रीय रणनीतिक नियोजन में दोनों देशों के हित जुड़े होंगे।

आगे की राह

- भारत एवं दक्षिण कोरिया के द्वारा पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट बढ़ाने के साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से दक्षिण कोरिया को बौद्ध धर्म के संवर्धन, बौद्ध धर्म की शिक्षा से जुडी सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए- अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सर्किट, बौद्ध सम्मेलन। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया से मुक्त व्यापार संधिया उसके समतुल्य किसी संधि की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जिससे दोनों देशों के मध्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही दोनों देशों को प्रशांत-हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित व्यापार को बढ़ाने हेतु सक्रिय रुप से सतत भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- संक्षेप में भारत को अपने दक्षिण कोरिया के साथ सम्बन्धों को बढ़ावा देना चाहिए और अपनी विदेश नीति को इस प्रकार स्वतंत्र रूप से संचालित करनी चाहिए जिससे कि सामरिक, आर्थिक इत्यादि उद्देश्यों को एक साथ साधा जा सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध।

प्र. भारत व दक्षिण कोरिया के सम्बन्धों की चर्चा करते हुए बताएँ कि इन्हें और किस प्रकार प्रगतिशील बनाया जा सकता है?

06 चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते मतभेद

चर्चा का कारण

- अमेरिकी विदेश मंत्री माइकपोंपिओ चीन की लगातार आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने अपने ताजा बयान में दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों से आग्रह किया है कि वे चीन के विरुद्ध एकजुट हो जाएं। इससे पहले अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया है और जवाब में चीन ने भी चेंगदू के अमेरिकी दूतावास को बंद करके अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है कि वह किसी भी हाल में ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अमेरिका और चीन पहले से ट्रेडवॉर में उलझे हुए थे लेकिन कोरोनावायरस ने इनके रिश्तों को और खराब कर दिया है। जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच एक तरह से शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है।

शीत युद्ध क्या है?

- शीत युद्ध (COLD WAR) अस्त्र-शस्त्रों का युद्ध न होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध जमीन पर नहीं लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों (पश्चिमी यूरोपीय देश) के बीच भू-राजनीतिक तनाव की अवधि (1945-1991) को शीत युद्ध कहा जाता है। शीत (Cold) शब्द का उपयोग पहली बार अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था।
- शीत युद्ध एक ऐसा वाक युद्ध था जो पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली और न कोई घायल हुआ। दोनों महाशक्तियों ने अपना सर्वस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकने के सभी उपायों का भी प्रयोग किया गया, यह केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा लेती रही हैं। कई इतिहासकार इसे सरकार चलाने की दो तरह की व्यवस्थाओं (पूंजीवाद और साम्यवाद) के बीच की लड़ाई के तौर पर भी देखते हैं।

चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध के कारण

- चीन और अमेरिका के बीच अगर शीत युद्ध की पृष्ठभूमि देखें तो इसमें कई कारण दृष्टिगोचर होते हैं-

  व्यापारिक युद्धः अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 'अमेरिका फर्स्ट 'का नारा देते हुए राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। ट्रंप के सत्ता में आ जाने पर 'अमेरिकी फर्स्ट' नीति को उन्होने आगे बढ़ाया गया। ट्रम्प ने कहा था कि हमारे देश की आव्रजन नीति इस रूप में तैयार और लागू की जानी चाहिये, जिसमें अमेरिकी हित प्रथम एवं सर्वोपरि रहें। इसका व्यावहारिक असर यह हुआ है कि विदेशियों के लिये अमेरिका का एच-1बी वीजा हासिल करना मुश्किल हो गया। अमेरिकी प्रशासन की अमेरिकन फर्स्ट नीति ही आगे चलकर ट्रेडवार का एक प्रमुख कारण बना। अमेरिका व चीन के मध्य कुछ वर्षों से ट्रेडवॉर यानि व्यापारिक युद्ध चल रहा है, जो कोविड 19 के दौर में भी चरम अवस्था पर है। जानकारों के अनुसार व्यापारिक युद्ध संरक्षणवाद (जब सरकार अपने देश के उद्योगों को बढ़ाने के लिए विदेशी सामानों पर कई तरह की पाबंदियां लगाती हैं तो सरकार के इस कदम को संरक्षणवाद कहते हैं) का नतीजा है। अमेरिका का कहना है कि चीन, अमेरिका को निर्यात अधिक करता है जबकि आयात कम करता है, इससे अमेरिका को लगातार व्यापार घाटा सहना पड़ रहा है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। ट्रेडवार का नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने कई चीनी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाया है, जिसके जवाब मे चीन ने भी ऐसा ही किया है।

  जासूसी का आरोपः अमरीका ने चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवेई (Huawei) पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। वैसे, हुआवेई के खिलाफ अमेरिका में जासूसी के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इससे कुछ देशों को सवाल उठाने का मौका मिला है कि क्या अमेरिका का अभियान वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रेरित है या उसका लक्ष्य चीन को प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने से रोकने का है?

  कोरोनावायरस और चीनी विरोधी नस्लवादः अमेरिका ने कोरोना-वायरस फैलाने के लिए चीन को दोषी ठहराया, जो पिछले साल के अंत में चीनी शहर वुहान में उभरा था। अमेरिका ने बार-बार नस्लभेदी और कलंकित करने वाले शब्दों में वायरस को वुहान वायरस, चाइनावायरस और कुंगफ्लू (Kung Flu) कहा है। इसके अतिरिक्त ट्रम्प प्रशासन द्वारा संयुक्त राष्ट्र को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यू एच ओ) के साथ संबंध विच्छेद करने से अवगत करा दिया गया है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि डबल्यूएचओ ने चीन के प्रभाव में आकर कोरोनावायरस की प्रारंभिक सूचनाएँ समय पर उजागर नहीं की।

- **कोरोनावायरस आरोप प्रत्यारोपः** अमेरिकी न्याय विभाग ने चीनी हैकर्स पर वायरस वैक्सीन पर अमेरिकी शोध के बारे में जानकारी चोरी करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है। चीन ने भी अमेरिका के उक्त आरोपों के प्रतिक्रिया स्वरूप बिना किसी सबूत के काउंटर-थ्योरी को बढ़ावा दिया है और कहा है कि अमेरिकी सैनिकों ने पिछले अक्टूबर में वुहान की यात्रा की थी। इस प्रकार अमेरिका ही वायरस का मूल स्रोत हो सकता है। इसी के साथ ही कई अन्य बीमारियों के उद्गम के लिए चीन द्वारा पश्चिमी देशों समेत अमेरिका पर आरोप लगाए गए हैं।

  दक्षिण चीन सागर विवादः दक्षिण चीन सागर पर चीन के द्वारा अपना दावा प्रस्तुत करते हुए फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताईवान और ब्रुनेई के खिलाफ लगातार आक्रामक गतिविधियां अपनाई गई। इससे ना केवल क्षेत्रीय संप्रभुता एवं अंतरराष्ट्रीय संधियों का हनन हुआ बल्कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिकी वर्चस्व को भी चुनौती दी क्योंकि इसमें से अधिकांश प्रदेश अमेरिका के पक्षधर हैं। इसका नतीजा यह हुआ अमेरिका ने महत्वपूर्ण समुद्री नौ वहन लेन सहित दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर चीन की संप्रभुता और नियंत्रण के दावे

को चुनौती दी है एवं दक्षिणी चीन सागर में मुक्त परिवहन व्यवस्था की वकालत की।

तकनीक क्षेत्र में गतिरोध: अमेरिका ने चीन की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी हुवेई के द्वारा अमेरिका में किए जाने वाले 5जी के ट्रायल पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा ऐसा करने के लिए अपने मित्र देशों पर दबाव बनाया है। अमेरिका का कहना है कि रणनीतिक लाभ के लिए चीन अन्य राष्ट्रों के दूरसंचार के बुनियादी ढांचे में हुवेई कंपनी के माध्यम से घुस पैठ का प्रयास कर रहा है।

हांगकांग का मुद्दा: चीन की ससंद ने हांगकांग में एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने के प्रस्ताव को पारित किया है, जिसके अंतर्गत हांगकांग के अपराधियों को चीन को सौंपना पड़ेगा। चीन की इस कार्रवाई को लेकर हांगकांग में जबरदस्त जन-आंदोलन खड़ा हो गया है। लाखों लोग इन अहिंसक प्रदर्शनों में सड़क पर उतर आए हैं। चीन के इस प्रस्ताव का अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। इन देशों का कहना है कि चीन ने हांगकांग में लोकतान्त्रिक भावनाओं को दबाने के लिए यह कानून पारित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वह हांगकांग को दिए गए प्रिफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट का दर्जा (Preferential Trade Status) वापस लेंगे।

उइगर समुदाय का मुद्दा: अमेरिकी संसद के निचले सदन (प्रतिनिधिसभा) ने चीन में उइगर मुसलमानों की नजरबंदी और उत्पीड़न को रोकने के लिए उइगर मानवाधिकार नीति (उइगर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एक्ट ऑफ 2019) नामका विधेयक पारित किया है, जिसे चीन इस कदम को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। गौरतलब है कि इस्लाम को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग चीन के सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिंजियांग प्रांत में रहते हैं। उइगर पूर्वी और मध्य एशिया में बसने वाले तुर्की जाति की एक जनजाति है।

अमेरिका-चीन शीत युद्ध का प्रभाव

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का दबदबा बना हुआ है। यह स्थिति शीतयुद्ध के वक्त भी थी, जब सोवियत संघ को कई देश उसके बराबर की ताकत मानते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। चीन इस बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध प्रारंभ होने से विश्व व्यवस्था दो धड़ों में बंट सकती है और दोनों धड़े एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के मार्ग से विचलित हो जाएगें।
- सोवियत संघ के दिनों की तुलना में आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए आर्थिक दबाव के लिहाज से ये ज्यादा संवेदनशील है।
- शीत युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत बनाना है, ताकि भविष्य में प्रत्येक देश अपने अपने विरोधी गुट की चालों को आसानी से काट सके। दो धड़ों में बंटे देश व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हेतु संरक्षणवादी नीतियाँ अपना सकते हैं जिससे व्यापारिक और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों का महत्व कम हो जाएगा।
- शीत युद्ध के चरम पर पहुँचने से संभव है कि दोधड़ों में बंटे हुए देश परमाणु हथियारों के निर्माण व उन्हें खरीदने की होड़ में लग जाएँगे।

भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए?

- अमेरिका-चीन शीत युद्ध के विस्तार की आशंका के फलस्वरूप भारत को अपने मित्र देशों के साथ सक्रिय भागीदारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड (Quad) की अवधारणा को अमूर्त रूप में उतारने हेतु आगे बढ़ना चाहिए।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन के लिये भारत एक बड़ा बाजार है, गलवान घाटी में भारत व चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद चीन के उत्पादों को धीरे धीरे प्रतिबंधित कर भारत, चीन की आर्थिक घेराबंदी कर सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बदलती वैश्विक परिस्थिति में भारत को चीन के विरुद्ध बनने वाले गठबंधन को प्रत्यक्ष रूप से न सही किन्तु परोक्ष रूप से समर्थन देने पर विचार करना चाहिये।
- भारत को ऐसी दीर्घकालीन नीति बनानी होगी कि अमेरिका-चीन शीत युद्ध मे भारत को लाभ पहुंचे। इसके साथ ही भारत को इस संभावित शीत युद्ध के विस्तार से बचने एवं हिंद महासागर समेत अन्य क्षेत्रों में अपने सामरिक और आर्थिक लाभ को सुरक्षा करने हेतु ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है।
- इस तरह से नई विश्व व्यवस्था जो बन रही है, उसमें भारत को सावधानीपूर्वक अपने हितों को देखते हुए कदम उठाना पड़ेगा। चूंकि भारत की यह नीति रही है कि वह किसी देश का पिछलग्गू नहीं बन सकता, इसलिए भारत को देखना होगा कि उसके आर्थिक और रणनीतिक हित किसमें है।

आगे की राह

- शांतिपूर्ण विकास का एक नया रास्ता खोजने के लिए सभी देशों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। अमेरिका को चाहिए कि वह चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में समन्वय, सहयोग और स्थिरता लाने के लिए काम करे साथ ही चीन-अमेरिका के बीच मधुर संबंध पूरी दुनिया की चिरस्थायी स्थिरता और समृद्धि का आधार बन सकता है। चूंकि कई देशों में कोविड-19 का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी देशों को इस समय अपना पूरा ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर लगाना चाहिये।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. शीतयुद्ध का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएं कि विश्व पर अमेरिका-चीन शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ सकता है?

07 भारत की बाढ़ प्रबंधन योजना का मूल्यांकन

परिचय

- हाल ही में असम और बिहार में आई बाढ़ से अपार धन-जन की हानि हुई है। ध्यातव्य है कि बाढ़ से तबाही भारत में होने वाली वार्षिक घटना है। बाढ़ से लगभग हर साल मानव जीवन और संपत्ति को काफी नुकसान होता है।
- हालाँकि बाढ़ के पूर्वानुमान और चेतावनी को बाढ़ शमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, विश्वसनीय और लागत प्रभावी गैर-संरचनात्मक उपायों के रूप में मान्यता दी गई है।
- परन्तु फिर भी बाढ़ के कारण होने वाली जान-माल की हानि बाढ़ के प्रति भारत की खराब अनुकूलन एवं शमन इसकी आपदा प्रबंधन और तैयारियों की अपर्याप्ता को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

- भारत विश्व के उन देशों में से है जहाँ प्रतिवर्ष किसी न किसी भाग में बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं सिंधु नदी तन्त्रों की नदियों से असम, प. बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब में भयंकर बाढ़ आती है।
- उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान भी प्राय: बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं। भारत में लगभग 400 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ के खतरे वाला है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आठवां भाग है।
- प्रतिवर्ष औसतन 77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है; 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें नष्ट हो जाती हैं। सर्वाधिक विनाशकारी वर्षा में लगभग 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें नष्ट होने का अनुमान है।

बाढ़ और इसके कारण

- बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भूक्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है और जन-जीवन प्रभावित हो जाता है। बाढ़ आने के पीछे प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक जिम्मेदार हैं।
- हिमालयी नदियाँ बड़ी मात्रा में अपने साथ तलछट लेकर आती हैं, जिससे नदियों के ऊपरी हिस्सों में किनारों का अधिक कटान होता है और निचले भाग में ये तलछट गाद के रूप में जमा होते रहते हैं।
- नदी के तल के भारी गाद से नदियों की जल वहन क्षमता कम हो जाती है और नदियों में बाढ़ आती है। परिणामस्वरूप तीव्र बहाव के कारण भूमिक्षरण भी अधिक होता है।
- वनस्पतियां बाढ़ के प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, परन्तु हिमालय क्षेत्र व उत्तर भारत में वनस्पतियों का जिस प्रकार से विनाश हुआ है, उत्तरी भाग में बाढ़ के प्रकोपों का यह सबसे बड़ा कारण है।
- जब भी कहीं सामान्य से अधिक वर्षा और लगातार हो जाती है तो नदियों में अचानक, पानी बढ़ जाता है और बाढ़ आ जाती है।

भारत में बाढ़ आपदा प्रबंधन की चुनौतियां

- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने 'बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ पूर्वानुमान के लिए योजनाएं' पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। कैग द्वारा किए गए प्रदर्शन ऑडिट में निम्न की जांच की गई थी:
    - क्या बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ पूर्वानुमान की योजनाएं प्रभावी हैं?
    - क्या समीक्षा और निगरानी तंत्र प्रभावी हैं?
- ऑडिट में 2007-08 से 2015-16 के दौरान 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बांधों सहित बाढ़ प्रबंधन की परियोजनाओं और नदी प्रबंधन की गतिविधियों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर हम भारत में बाढ़ प्रबंधन में होने वाली चुनौतियों का आकलन कर सकते हैं।
- **बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं में विसंगतियाँ:** कैग की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि असम, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों की परियोजनाओं में कार्यान्वयन संबंधी विसंगतियां पाई गई, जैसे अनियमित तरीके से काम देना,और ऊंची दर पर भुगतान करना आदि।
- **बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन:** बाढ़ प्रबंधन का कार्य एकीकृत तरीके से नहीं किया जाता है। अर्थात बाढ़ प्रबंधन में पूरी नदी या उसकी उपनदियों के एक बड़े

हिस्से को शामिल ही नहीं किया जाता है। इसके अलावा राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) भी समय पर तैयार नहीं हो पाती हैं। इससे परियोजना के वास्तविक वित्तीयन के समय इनकी तकनीकी डिजाइन प्रासंगिक नहीं रह जाती।

- **बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों का वित्तीय प्रबंधन:** राज्य सरकारें बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के वित्तीयन के लिए केंद्र सरकार से अनुदान पर निर्भर रहते हैं जिससे कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर वित्त का आवंटन नहीं होता है।
- **निरीक्षण और मूल्यांकन:** एक बार बाढ़ की स्थिति समाप्त होने के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के प्रदर्शन मूल्यांकन नहीं किया जाता है। न ही इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग की गयी सामाग्री गुणवत्ता पर कोई विशेष द्यान दिया जाता है।
- **बाढ़ पूर्वानुमान:** भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी एक रिपोर्ट में पाया कि 2012 से 2017 के दौरान 219 टेलीमेट्री स्टेशनों (बाढ़ पूर्वानुमान के इंस्ट्रूमेंटों की रीडिंग्स को रिकॉर्ड और ट्रांसमिट करने वाले स्टेशन) को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अगस्त 2016 तक केवल 56 टेलीमेट्री स्टेशन ही स्थापित किए गए थे। उनमें से 59% टेलीमेट्री स्टेशन कार्यशील ही नहीं थे।

भारत में बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु सुझाव

- उपरोक्त कारणों और बाढ़ प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों से निपटने लिए भारत को एक एकीकृत बाढ़ प्रबंधन प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रमुख उपायों को अपनाया जा सकता है:
    - बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार एक निश्चित समय सीमा में जल संसाधन मंत्रालय को धन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें कार्यान्वयन एजेंसियों को निश्चित समय पर धन की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
    - यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाढ़ प्रबंधन के स्वीकृत सभी परियोजनाएं एकीकृत तरीके से तैयार की जाएं। ऐसी परियोजनाओं के लाभ-लागत अनुपात का भी उचित तरीके से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
    - केंद्रीय जल आयोग को बाढ़ पूर्वानुमान के लिए वास्तविक आंकड़ों के साथ समयबद्ध कार्रवाई योजना तैयार करनी चाहिए। इसके लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं:
- बाढ़ पूर्वानुमानों को प्रसारित करने वाले सभी टेलीमेट्री स्टेशन कार्यशील स्थिति में हों
- आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक संख्या में टेलीमेट्री स्टेशनों स्थापित किया जाना चाहिए।
- चेतावनी और खतरे के निशान को उचित स्तर पर स्थिर किया जाए। ताकि बाढ़ का पूर्वानुमान उचित और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।
    - असम, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या का हल निकालने के लिए दीर्घकालीन परियोजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
    - इसके अलावा सभी बड़े बांधों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- बाढ़ प्राकृतिक आपदा है और विकास प्रक्रिया में अंतर्निहित दोषों के कारण इसका स्वरूप विनाशकारी है। लेकिन तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी इसकी विभीषिका को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि सुव्यवस्थित आयोजन एवं उसके समयबद्ध कार्यान्वयन को अपनाया जाए तो ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जा सकती हैं कि बाढ़ एवं अति जलप्लावन की स्थिति उत्पन्न ही न हो।
- यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से बड़ी मात्रा में जन-धन की हानि होती है, साथ ही इससे सर्वाधिक नकारात्मक रूप से समाज का सबसे गरीब वर्ग प्रभावित होता है। हालाँकि विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों द्वारा बाढ़ के प्रभावों को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं। किंतु यह प्रयास तब तक ऐसी आपदाओं को रोकने में कारगर नहीं हो सकेंगे जब तक मानव निर्मित कारकों जैसे- जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, अवैज्ञानिक विकास कार्य आदि को नहीं रोका जाता।
- वैज्ञानिक तकनीकियों जैसे सुदूर संवेदन, मौसम पूर्वानुमान आदि का प्रयोग करके समय पूर्व ही अधिकाधिक वर्षा या बाढ़ आने की चेतावनी जारी करके बाढ़ के खतरों से जान-माल की सुरक्षा की जा सकती है और बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- आपदा और आपदा प्रबंधन।

प्र. अतीत में विनाशकारी बाढ़ के बावजूद भी भारत में बाढ़ एक बारहमासी समस्या बनी हुई है। बाढ़ प्रबंधन में विफलताओं की चर्चा करते हुए इससे निपटने के लिए आवश्यक उपाय भी सुझाएं।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन–2020

1. चर्चा का कारण

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा हाल ही में 'वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन '(Global Forest Resources Assessment- FRA)' जारी किया गया है।

2. महत्वपूर्ण बिन्दु

- एफआरए-2020 के अनुसार, 2010-2020 के दौरान वन क्षेत्र में सबसे अधिक औसत वार्षिक वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देश क्रमशः हैं:
  - चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली, रोमानिया।
  - वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (एफआरए)-2020 रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक(वर्ष 2010-2020) में एशिया महाद्वीप ने वन क्षेत्र में सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि दर्ज की है।
  - पिछले एक दशक में एशियाई जंगलों में प्रति वर्ष 1.17 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध वृद्धि दर्ज की गयी है।
  - एफआरए-2020 के अनुसार, वर्ष 1990-2020 के दौरान दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्र में शुद्ध वन हानि दर्ज की गई।

3. भारत की स्थिति

- रिपोर्ट में पिछले एक दशक (2010-20) में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान मिला है।
- भारत में स्थानीय, आदिवासी और देशी समुदायों द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र 1990 में शून्य से बढ़कर 2015 में लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।
- हालांकि एफआरए-2020 में भारत के लिए नकारात्मक बात यह बताई गयी है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन दर (naturally regenerating forest rate) निराशाजनक है, क्योंकि भारत में 2010-20 के दौरान, प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन में वृद्धि की दर केवल 0.38 प्रतिशत थी, जो काफी कम है।
- भारत ने दुनिया में वानिकी क्षेत्र में काफी अधिक रोजगार उपलब्ध कराये हैं। वैश्विक स्तर पर वानिकी क्षेत्र में जितने लोग कार्यरत हैं , उनमें से करीब 50 फीसदी का हिस्सा भारत का है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने वन क्षेत्र में 0.38 प्रतिशत वार्षिक लाभ दर्ज किया अथवा यहाँ औसतन हर वर्ष 266,000 हेक्टेयर की वन वृद्धि हुई है।

4. वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन

- वैश्विक स्तर पर वन संसाधनों की स्थिति और रुझानों को प्रदर्शित करने हेतु वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (FRA) रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization-FAO) के तहत वानिकी विभाग (Forestry Department) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- यह रिपोर्ट सभी सदस्य देशों के लिये वनों का स्तर, उनकी स्थितियों एवं प्रबंधन का आकलन करती है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (FRA) रिपोर्ट में वैश्विक स्तर के वन क्षेत्र संबंधी आँकड़ों के साथ-साथ कई अन्य निष्कर्षों यथा-वन संरक्षण के लिये कानूनी व संस्थागत ढाँचा, स्थायी वन प्रबंधन, भूमि का स्वामित्त्व, भूमि तक पहुँच का अधिकार, वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि व हानि, प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन इत्यादि को भी प्रकाशित किया जाता है।

5. सयुंक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)

- सयुंक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषीकृत एजेंसी है।
- एफएओ की स्थापना सयुंक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 16 अक्तूबर, 1945 को कनाडा में हुई थी। 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से स्थानांतरित कर रोम में स्थापित किया गया था।
- वर्तमान में FAO के 197 सदस्य हैं जिनमें 194 देश, एक संगठन एवं दो संलग्न सदस्य (Associate Member) हैं।
- एफएओ ज्ञान और जानकारियों के आदान-प्रदान करने का मंच भी है। एफएओ, सरकारों एवं विभिन्न संस्थाओं को कृषि, पर्यावरण, पोषक तत्व,वानिकी, मत्स्यपालन, भूमि व जल संसाधनों और फूड सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देता है।

02 काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (केएपीपी-3) की तीसरी इकाई ने क्रांतिकता हासिल की, जिसका अर्थ है कि यह एक रिएक्टर की सामान्य परिचालन स्थिति तक पहुंच गया है जो यह प्रदर्शित करता है कि संयंत्र अब बिजली पैदा करने के लिए तैयार है।

2. परियोजना का महत्व

- यह भारत के घरेलू असैन्य परमाणु कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक घटना है। KAPP-3 देश की पहली 700 मेगावाट बिजली संयंत्र है और दबाव वाले भारी जल रिएक्टर (PHWR) का सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से विकसित संस्करण है।
- अब तक, भारत में स्वदेशी डिजाइन का सबसे बड़ा रिएक्टर आकार 540 MWe PHWR था, जिनमें से दो को तारापुर, महाराष्ट्र में तैनात किया गया था।
- भारत के पहले 700MWe रिएक्टर के परिचालन ने प्रौद्योगिकी के मामले में एक महत्वपूर्ण सुधार किया है।
- यह नई 700MWe यूनिट अतिरिक्त थर्मल मार्जिन के समस्या का समाधान कर सकती है। थर्मल मार्जिन से तात्पर्य है कि रिएक्टर का ऑपरेटिंग तापमान उसके अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान से किस हद तक कम है।
- यह किसी भी रिसाव को कम करने के लिए स्टील-लाइनेड कंटेंट के साथ सुसज्जित है और इसमें शीतलक दुर्घटना के नुकसान संबंधित दबाव को कम करने के लिए एक नियंत्रण स्प्रे प्रणाली है।

3. परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का लक्ष्य

- भारत वर्ष 2031 तक अपनी मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता को 6,780 MWel-22,480 MWe तक बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, इसलिए यह परियोजना 700MWe क्षमता विस्तार योजना के सबसे बड़े घटक के रूप में काम कर सकती है।
- वर्तमान में, परमाणु ऊर्जा क्षमता 3,68,690 मेगावाट (जनवरी 2020 के अंत तक) की कुल स्थापित क्षमता का 2% से भी कम है।

4. भारत की PHWR तकनीक का विकास

- यह तकनीक भारत में 1960 के दशक के अंत में पहले इंडो-कैनेडियन परमाणु सहयोग के तहत, कनाडा में डगलस प्वाइंट रिएक्टर के समान डिजाइन वाले राजस्थान रिएक्टर पावर स्टेशन, RAPS-1 के निर्माण के साथ शुरू हुई थी।
- दूसरी इकाई (आरएपीएस -2) के लिए, आयात सामग्री को काफी कम कर दिया गया था इसलिए प्रमुख उपकरणों हेतु स्वदेशी करण का विकास किया गया।
- पोखरण-1 के बाद 1974 में कनाडा के समर्थन को वापस लेने के बाद, भारतीय परमाणु इंजीनियरों ने खुद ही निर्माण कार्य पूरा किया।
- तीसरी PHWR इकाई (मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, एमएपीएस-1) के साथ विकसित रूप से डिजाइन के विकास और स्वदेशीकरण की शुरुआत हुई।
- PHWR की पहली दो इकाइयों का उपयोग करते हुए, स्वदेशी रूप से विकसित मानकीकृत 220 MWe डिजाइन को नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में स्थापित किया गया।
- इसके अलावा 540 MWe PHWR का डिजाइन बाद में विकसित किया गया और तारापुर में ऐसी दो इकाइयाँ स्थापित किया गयी।

5. PHWR

- एक PHWR (pressurized heavy-water reactor) एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, जो आमतौर पर अपने ईंधन के रूप में अप्रकाशित प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है जो भारी पानी (ड्यूटेरियम ऑक्साइड डी 2 ओ) का उपयोग अपने शीतलक और मध्यस्थ के रूप में करता है।
- भारी पानी में शीतलक को दबाव (प्रेशर) में रखा जाता है, जिससे इसे उच्च दबाव वाले तापमान पर गर्म किया जा सकता है, जैसा कि एक विशिष्ट दबाव वाले पानी रिएक्टर में होता है।

03 न्यायालय की अवमानना

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया।
- अपने ट्वीट में, अधिवक्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे तथा पिछले चार मुख्य न्यायाधीशों के अधीन अदालत के सामान्य कामकाज के बारे में टिप्पणी की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात के लिए उनके ट्वीट को दोषी पाया।

2. क्या है न्यायालय की अवमानना?

- न्यायालय अवमानना (contempt of courts) अधिनियम 1971 के अनुसार अवमानना न्यायालय की प्रतिष्ठा या अथॉरिटी के प्रति असम्मान प्रकट करने का अपराध है।
- यह अधिनियम अवमानना या कंटेम्प्ट को सिविल और अपराधिक दो हिस्सों में विभाजित करता है।
- सिविल अवमानना का अर्थ यह है कि न्यायालय के किसी आदेश का जानबूझकर पालन न किया जाए।
- आपराधिक अवमानना में ऐसे काम या प्रकाशन शामिल हैं जो :
  - न्यायालय को 'अपमानित' करते हैं, या
  - किसी न्यायिक प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं,या
  - किसी भी प्रकार से न्याय की स्थापना में दखल देते हैं।

3. न्यायालय की अवमानना के लिए संवैधानिक व्यवस्था

- **अनुच्छेद 129:** संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा साथ ही यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 142 (2):** यह अनुच्छेद अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जाँच तथा उसे दंडित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है।
- **अनुच्छेद 215:** संविधान का अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है जो उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने में सक्षम बनाता है।
- इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19 (2) के तहत अदालती कार्यवाही के विरुद्ध बोलने पर 'अवमानना प्रावधानों' के अंतर्गत वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

4. न्यायालयों के अवमानना के शक्ति का औचित्य

- इसका उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और उसके महत्व को बनाए रखना है।
- न्यायालय की अवमानना की शक्ति न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है।

5. अवमानना के लिए सजा के प्रावधान

- अदालत अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत अदालत की अवमानना के लिए एक अवधि के लिए साधारण कारावास जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या दो हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।
- इसके अलावा उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के तहत अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना के लिए भी दंडित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

6. निष्कर्ष

- भारत में सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र बहुत विस्तृत है साथ ही अवमानना की परिभाषा भी बहुत व्यापक है। इसलिए न्यायाधीशों और न्यायपालिका के आचरण की वैध आलोचना को रोकने के लिए भी न्यायालय की निंदा करने जैसे शब्दों की बहुत ही शिथिल व्याख्या की जाती रही है।
- प्रतिबंधों पर भी यथोचित युक्ति-युक्तता बनाए रखनी चाहिए परन्तु आलोचनाओं के प्रति न्यायालय कि यह अतिसक्रियता अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
- इस पर विचार करते हुए भारत में अवमानना के क्षेत्राधिकार में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

7. अन्य देशों में अवमानना कानून

- अन्य देशों में भी न्यायालय की अवमानना के क्षेत्राधिकार को कम किया गया है या इसे समाप्त कर दिया गया:
  - ब्रिटेन में इसे 2013 में ही समाप्त कर दिया गया था।
  - कनाडा ने अवमानना परीक्षण को प्रशासन के लिए वास्तविक, महत्वपूर्ण और तात्कालिक खतरा माना है।
  - अमेरिकी अदालतें अब न्यायाधीशों या कानूनी मामलों पर टिप्पणियों के जवाब में अवमानना कानून का उपयोग नहीं करती हैं।

04 LAC पर अतिरिक्त भारतीय सेनाएं एवं उनके समक्ष चुनौतियां

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के समीप चीन के आक्रामक रूख को देखते हुए भारत को अभी सीमा पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात करना पड़ रहा है।
- वर्तमान में जैसा चीन का रूख है उसे देखते हुये इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता है कि इतनी बड़ी सेना को पूरी सर्दियों तक वहाँ तैनात रखना पड़ेगा।

2. भारत के समक्ष मुख्य समस्या

- इस तरह की कठोर परिस्थितियों में सेना की तैनाती के दौरान भारत को निम्नलिखित प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है:
- **अत्यधिक ऊंचाई और निम्न तापमान**
  - पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र 14000-20000फीट की ऊंचाई में स्थित एक शुष्क इलाका है। यहाँ तापमान -20० डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अधिक ऊँचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है जिससे साँस लेने में मुश्किल होती है।
- **उच्च लागत**
  - यहाँ की कठिन परिस्थितियों में एक सैनिक को रखने वहां रखने, उसे सुविधाओं से लैस करने, भोजन की व्यवस्था करने, उसके स्वास्थ्य संबंधित प्रबंधन करने ,उसके आश्रय को वातानुकूलित बनाने की एक साल की लागत कम से कम 10 लाख रुपये तक आसानी से पहुँच जाती है।
  - इसके अलावा बहुत से खर्च ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी संवेदनशील प्रकृति के कारण उजागर नहीं किया जाता है। ऐसे में सर्दियों के दौरान चीन से मुकाबले के लिए यहाँ सेना को तैनात रखना बहुत बड़ा आर्थिक व्यय भी बन जाता है।
- **रसद-आपूर्ति की समस्या**
  - ध्यावत है कि यहाँ तैनात सेना के लिए रसद-आपूर्ति सड़क परिवहन या हवाई परिवहन के माध्यम से की जाती है।
  - लेह रसद आपूर्ति के लिए पहला पड़ाव है। यहाँ से इन सभी आपूर्ति का लगभग 70% सियाचिन या कारगिल जैसे आगे के ठिकानों पर ले जाना होता है।
  - यहाँ से सेना कुछ सामग्रियों को ले जाने के लिए स्थानीय लोगों और खच्चरों की मदद लेती है। इस काम को वे गर्मियों के महीनों में अंजाम देते हैं।
  - इसके लिए वे प्रतिदिन 10 किमी जाते हैं और वापस आते हैं ताकि सर्दियों के लिए ऊंचाई पर बैठे सैनिकों को भोजन और साजोसामान उपलब्ध हो सके।
- **परिवहन व्यवस्था**
  - सड़क आपूर्ति के लिए मार्ग केवल गर्मियों के दौरान ही खुले रहते हैं, ऊंचाई में होने के कारण नवंबर से लेकर मार्च-अप्रैल के आसपास तक ये मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढक जाते हैं।
  - श्रीनगर से लद्दाख के लिए दो सड़क मार्ग हैं रोहतांग दर्रा और जोजी ला। लेकिन कोई भी मार्ग पूरे वर्ष यातायात के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। हालांकि साल के अंत तक रोहतांग सुरंग परिचालित होने से इस समस्या को हल किये जाने की उम्मीद है।

3. वर्तमान में अतिरिक्त लागत की आवश्यकता

- गौरतलब है कि सामान्य तैनाती के दौरान सेना द्वारा अप्रैल-मई में सर्दियों के लिए अतिरिक्त भंडारण कर लिया जाता है। आमतौर पर आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए विमान का उपयोग किया जाता है।
- इसके अलावा सामान्य दिनों में जहां सर्दियों के लिए लिए भोजन, उपकरण आदि की लगभग 2 लाख टन आपूर्ति होती थी उसकी तुलना में इस बार कम से कम 3 लाख टन रसद-आपूर्ति की आवश्यकता होगी।अब सरकार को एक ओर खुले बाजार से सेना के लिए आवश्यक अतिरिक्त साजोसामान और रसद खरीदना पड़ेगा तो दूसरी ओर परिवहन के लिए भी अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा।

4. सैनिकों के लिए विशेष उपकरण

- अधिक ऊंचाई में सैनिकों को गर्म रखने और संभावित स्वास्थ्य खतरों से बचने के लिए सेना द्वारा विशेष उपकरणों की खरीद की जाती है।
- इसके अलावा संघर्ष वाले चारों स्थान में सेगलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर हैं। जबकि डेपसंग क्षेत्र 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, यहाँ संघर्ष की स्थिति तो नहीं बनी,लेकिन भारत के पारंपरिक गश्त बिंदुओं तक पहुँच को चीन द्वारा अवरुद्ध किया गया है। इसलिए भारत यहाँ भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है।
- ज्यादातर सैनिक पहली बार इन परिस्थितियों में तैनात किए जा रहे हैं ऐसे में उनका इन कष्टदायी परिस्थितियों में युद्ध-प्रशिक्षित भी होना भी एक कठिन कार्य है।
- साथ ही ऐसे ऊँचाई वाले स्थानों में तैनाती के लिए, सेना को विशेष वस्त्रों और पर्वतारोहण उपकारणों की आवश्यकता होती है।

05 इंडिया आइडियाज समिट-2020

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया। यह सम्मलेन अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी) द्वारा आयोजित किया गया था। इस वर्ष के सम्मेलन की थीम 'बेहतर भविष्य का निर्माण' था। गौरतलब है कि इस साल 'यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल' के गठन के 45 वर्ष पूरे हुए हैं।

2. प्रधानमंत्री के सम्बोधन के मुख्य बिन्दु

- प्रधानमंत्री ने विकास के एजेंडे के मूल में गरीबों और कमजोरों को रखने की जरूरत के बारे में जोर देकर कहा कि 'ईज ऑफ लिविंग' उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 'ईज ऑफ बिजनस'।
- प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान के जरिए भारत एक समृद्ध और सशक्त दुनिया बनाने में अपना योगदान कर रहा है।
- प्रधानमंत्री के अनुसार भारत को लेकर दुनियाभर में आशावाद है क्योंकि यह खुलेपन, अवसरों और विकल्पों का आदर्श सम्मिश्रण प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को ज्यादा खुली और सुधार उन्मुख बनाने के प्रयास किए गए हैं। साथ ही कई आर्थिक और नीतिगत सुधारों से प्रतिस्पर्धात्मकता, ज्यादा पारदर्शिता, डिजिटलीकरण का विस्तार, ज्यादा नवाचार और ज्यादा नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित हुई है।

3. विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर

- प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के व्यापक अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कृषि सामग्री और मशीनरी, कृषि आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, मत्स्य पालन और जैविक उत्पाद समेत कई क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को रेखांकित किया।
- भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र हर साल 22 प्रतिशत से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है और चिकित्सा-प्रौद्योगिकी, टेली-मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स उत्पादन में भारतीय कंपनियों ने काफी प्रगति की है, उन्होंने कहा कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का यह सबसे अच्छा समय है।
- प्रधानमंत्री ने कई अन्य क्षेत्रों की सूची भी सामने रखी जो निवेश के लिए शानदार अवसर प्रदान करते हैं जैसे- ऊर्जा क्षेत्र; घरों, सड़कों, हाइवे और बंदरगाहों के निर्माण सहित अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण; नागरिक उड्डयन, जहां कई शीर्ष निजी भारतीय एयरलाइंस की आने वाले दशक में एक हजार से ज्यादा नए विमान शामिल करने की योजना है, इस प्रकार से किसी भी निवेशक के लिए अवसर खुले हैं जो भारत में विनिर्माण सुविधाएं, रखरखाव मरम्मत व संचालन सुविधाएं स्थापित करना चाहता है।
- प्रधानमंत्री के अनुसार भारत रक्षा क्षेत्र में एफडीआई कैप 74 प्रतिशत तक बढ़ा रहा है, रक्षा उपकरणों और प्लेटफॉर्मों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दो रक्षा गलियारे स्थापित किए गए हैं, साथ ही निजी और विदेशी निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन की पेशकश भी की। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण सुधारों का भी जिक्र किया।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई कैप को बढ़ाकर 49 प्रतिशत और बीमा मध्यस्थों में निवेश के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है। विदित हो कि स्वास्थ्य, कृषि, व्यवसाय और जीवन बीमा में बीमा कवर बढ़ाने के व्यापक अवसर हैं, जिनका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है।

4. भारत में बढ़ता निवेश

- प्रधानमंत्री के अनुसार 2019-20 में भारत में एफडीआई प्रवाह 74 अरब डॉलर था, जो पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। भारत ने इस साल अप्रैल और जुलाई के बीच 20 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी निवेश हासिल किया है।

5. भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा समय

- प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए यह सबसे अच्छा समय है,क्योंकि भारत ने व्यापार के अवसरों में वृद्धि की है, साथ ही वैश्विक एकीकरण के साथ वह कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता पर जोर दे रहा है।

6. अमेरिका- भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार

- अमेरिका 2018-19 में चीन को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया था। अमेरिका लगातार दूसरे साल 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना रहा, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2018-19 में 87.96 अरब डॉलर था।
- अमेरिका उन चुनिंदा देशों में एक है, जिसके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में दोनों देशों के बीच व्यापार अंतर बढ़कर 17.42 अरब डॉलर भारत के पक्ष में रहा।

06 सामुदायिक कैंटीन 2.0

1. चर्चा का कारण

- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (अन्न योजना) को नवम्बर तक विस्तारित करने की घोषणा की है। सरकार पूरे देश में लगभग 800 मिलियन लाभार्थियों को 5 किलोग्राम अनाज के साथ 1 किलो चना (मासिक) प्रदान करेगी। इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों के लिए सब्सिडी वाले अनाज तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वन नेशन, वन राशन (ONOR) योजना के कार्यान्वयन पर भी प्रकाश डाला गया।
- जानकारों का मानना है कि कोविड -19 के दौर में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिये पोषण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सामुदायिक कैंटीन एक सस्ता एवं बेहतर विकल्प हो सकता है।

2. सामुदायिक कैंटीन क्या है?

- सामुदायिक कैंटीन/रसोई सामान्यत: केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जाने वाले भोजनालय होते हैं। यहाँ बहुत कम कीमत पर लोगों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है।
- सामुदायिक कैंटीन संचालित करने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा को भी संबोधित करना है। ये कैंटीन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. सामुदायिक कैंटीन के लाभ

- विशेषज्ञों के विश्लेषण से पता चलता है कि 26,500 करोड़ रुपये के शुरुआती सामाजिक निवेश से 60,000 कैंटीन और लगभग 8, 200 रसोईघरों की व्यवस्था की जा सकती है, जिसके माध्यम से लगभग 30 मिलियन शहरी गरीब श्रमिकों, विशेषकर प्रवासियों को एक दिन में तीन बार पौष्टिक भोजन दिया जा सकता है।
- इससे सभी शहरी गरीबों के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और सस्ते भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही राजकोषीय संसाधनों पर दबाव भी कम होगा और सतत विकास लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा।
- इससे रोजगार और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। लगभग 60,000 कैन्टीनों में औसतन लगभग 500 लाभार्थी प्रति कैंटीन की दर से एक दिन में 90 मिलियन भोजन की थाली तैयार करने के लिए 1.2 मिलियन से अधिक रोजगार पैदा होंगे।
- ये कैंटीन किसानों के लिए अपनी फसलों में विविधता लाने और निरंतर फसल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मांग संकेतों का निर्माण करेंगी।

4. भारत में सामुदायिक कैंटीन

- देश के लगभग 10 से अधिक राज्यों में सामुदायिक कैंटीन चलाई जा रही है। जून 2020 में, राजस्थान सरकार ने रियायती दर पर दिन में दो बार भोजन प्रदान करने के लिए "इंदिरा रसोई योजना" की शुरूआत की है।
- इससे पहले राजस्थान सरकार ने "अन्नपूर्णा रसोई", तमिलनाडु सरकार ने "अम्मा कैंटीन" और कर्नाटक सरकार ने "इंदिरा कैंटीन" योजनाओं के अंतर्गत सस्ते मूल्यों पर भोजन उपलब्ध कराया है।
- इसके अलावा एनजीओ अक्षय पात्र बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना पर सरकार के साथ काम कर रहा है।

5. सामुदायिक कैंटीनों की खामियाँ

- सामुदायिक कैंटीनों में शिकायत होती है कि यहाँ खाने की गुणवत्ता और मात्रा पोषण के मानकों के अनुरूप नहीं होती है।
- अधिकांश कैंटीन अपने सुचारु संचालन के लिए निरंतर सरकारी सहायता पर निर्भर करती हैं क्योंकि यहाँ भोजन की कीमत आमतौर पर प्रति प्लेट 5-10 रूपये प्रति थाली होती है।

6. आगे की राह

- सामुदायिक कैंटीनों के माध्यम से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाने पर नजर डालें तो हम सामुदायिक किचन को कई मायनों में ज्यादा प्रासंगिक पाते हैं। उदाहरण के लिए "सामुदायिक कैंटीनों के लिए किया गया निवेश छ: साल से भी कम समय में वापस प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह ONOR के कारण संभावित खाद्य सब्सिडी परिव्यय से बचने में मदद करता है जिससे लगभग 4,500 करोड़ रूपये की वार्षिक बचत की संभावना है।
- इसके साथ ही इस योजना के द्वारा शहरी प्रवासियों एवं निराश्रित व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में पोषण सुनिश्चित किया जा सकता है।

07 इस्तांबुल अभिसमय और भारत

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में पोलैंड ने इस्तांबुल अभिसमय (Istambul Convention) से हटने का निर्णय लिया है।

2. प्रमुख बिन्दु

- पोलैंड के अनुसार इस्तांबुल अभिसमय हानिकारक है क्योंकि इस अभिसमय में बच्चों को स्कूली स्तर पर ही लैंगिक विषमता (gender inequality) के बारे में पढ़ाने की अनिवार्यता की गयी है। इससे समाज में लैंगिक विषमता के बढ़ने का खतरा व्याप्त हो गया है।
- पोलैंड का कहना है कि इस्तांबुल अभिसमय, जैविक लैंगिकता (biological gender) के विपरीत 'सामाजिक-सांस्कृतिक लैंगिकता (socio-cultural gender) के निर्माण का प्रयास करती है।
- इसके अतिरिक्त, पोलैंड द्वारा आरोप लगाया गया है कि इस्तांबुल अभिसमय बच्चों और युवाओं को समलैंगिकता की शिक्षा प्रदान करती है और समलैंगिक परिवारों को बनाने हेतु प्रेरित करती है।

3. क्या है इस्तांबुल अभिसमय?

- इस्तांबुल अभिसमय में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिला जननांग अंगभंग (female genital mutilation- FGM), तथा सम्मान-आधारित हिंसा (honour-based violence) और बलात विवाह को रोकने के लिए कई प्रावधान किये गए हैं।
- इस संधि को 'महिलाओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उस से निपटने हेतु यूरोपीय समझौता परिषद' (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) भी कहा जाता है।
- संधि अगस्त 2014 से लागू हो गयी। इस्तांबुल अभिसमय पर अभीतक यूरोपीय संघ तथा 45 देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए हैं।
- महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की हिंसा (जिनमें से कुछ को ऊपर वर्णित किया गया है) को रोकने हेतु इस्तांबुल अभिसमय में सदस्य देशों की सरकारों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किये गए हैं।
- इस्तांबुल अभिसमय, सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से एक बाध्यकारी संधि है अर्थात इस्तांबुल अभिसमय पर हस्ताक्षार करने के बाद सदस्य देश इस संधि के प्रावधानों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हैं।

4. लैंगिक विषमता क्या है?

- लैंगिक विषमता का अभिप्राय लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है।
- गौरतलब है कि न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में हर जगह पारंपरिक रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। आज भी महिलाओं को घर और समाज दोनों ही जगहों पर शोषण, अपमान, भेद-भाव एवं विभिन्न प्रकार की हिंसा को सहन करना पड़ता है।

5. लैंगिक विषमता के कारण

- लैंगिक विषमता के पीछे मूल कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था को माना जाता है। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था ही में लैंगिक विषमता निहित है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष, महिला पर अपना प्रभुत्व जमाता है और उस का दमन व शोषण करता है।
- महिलाओं का सामाजिक आर्थिक और राजनितिक सशक्तिकरण नहीं होना लैंगिक विषमता को बढ़ावा देते हैं।

6. भारत में लैंगिक विषमता

- 14वीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट-2020 में दुनिया के 153 देशों में भारत 2018 के मुकाबले 4 पायदान फिसल कर 112वें स्थान पर पहुंच गया
- बाल लिंगानुपात (सीएसआर) में गिरावट, पक्षपातपूर्ण तरीके से लिंग चयन की परंपरा और बाल विवाह, इन सभी से पता चलता है कि लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता किस हद तक भारत के लिए एक चुनौती बनी हुई है।

7. सरकारी प्रयास

- सरकार द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', राजीव गांधी योजना (सबला), कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना, प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जैसी योजनाएं लायी गई।
- इसके अलावा जेंडर बजटिंग के द्वारा विभिन्न मंत्रालय द्वारा महिलाओं के सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देकर लैंगिक विषमता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

8. आगे की राह

- किसी भी देश को महिलाओं के सशक्तिकरण पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगभग आधी आबादी के समुचित उत्थान के बिना न तो वहाँ की समाज और ना ही वह देश प्रगति कर सकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण समावेशी आर्थिक विकास के केंद्र में है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीज) को हासिल करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कई अध्ययन से यह सिद्ध हो चुका है महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु निवेश करने से लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन और समावेशी आर्थिक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।
- समाज के सभी हितधारकों को मिलकर ऐसा दृष्टिकोण, प्रभाव, कौशल और आचरण विकसित करना होगा जो सूचनाओं और सेवाओं को सुरक्षित, स्वस्थ रखने की मांग करे, भेदभाव और हिंसा समाप्त हो, विशेष रूप से बालिकाओं के खिलाफ, और ऐसा नागरिक समाज तैयार हो जिसका परिवेश सभी को समानरूप से दक्षता हासिल करने का मौका दे। इसके साथ ही सरकार एवं नागरिक समाज द्वारा ऐसी नीतियां बनाने और आचरण विकसित कर ने में उन्हें भागीदार बनाया जाना चाहिए जिनमें सभी लिंगों को मान्यता मिले और लैंगिक रूढ़ियों और मानदंडों को चुनौती दी जा सके।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन

प्र. वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन-2020 (FRA 2020) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन-2020 के अनुसार वर्ष 2010-20 की अवधि में एशिया महाद्वीप ने वन क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि दर्ज की है।
2. एफआरए-2020 के अनुसार वर्ष 1990-2020 के दौरान दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्र में शुद्ध वन हानि दर्ज की गई है।
3. रिपोर्ट में पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान मिला है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा हाल ही में वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (Global Forest Resources Assessment-FRA) जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-20 की अवधि में एशिया महाद्वीप ने वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि (न कि सबसे कम वृद्धि) दर्ज की है, अतः कथन (1) गलत है। इस संदर्भ में शेष दो कथन सही हैं। इसलिए उत्तर (C) होगा।

02 काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना

प्र. निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए-

(a) काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (KAPP-3) देश की पहली 700 मेगावाट बिजली संयंत्र है।

(b) भारत वर्ष 2013 तक अपनी मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता को 6,780 MWels-22480MWe तक बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

(c) वर्तमान में, परमाणु ऊर्जा क्षमता 3,68,690 मेगावाट (जनवरी 2020 के अंत तक) की कुल स्थापित क्षमता का 10% से अधिक है।

(d) यह किसी भी रिसाव को कम करने के लिए स्टील-लाइनेड कंटेंट के साथ सुसज्जित है।

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (केएपीपी-3) की तीसरी इकाई ने क्रांतिकता हासिल की। जो यह प्रदर्शित करता है कि संयंत्र अब बिजली पैदा करने के लिए तैयार है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में, परमाणु ऊर्जा क्षमता 3,68,690 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता का 2% से कम है (न कि 10% से अधिक है) अतः कथन (c) गलत है। इसलिए उत्तर (c) होगा।

03 न्यायालय की अवमानना

प्र. न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा।
2. अनुच्छेद-129 सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए लोगों को दंडित करने का प्रावधान करता है।
3. अनुच्छेद-142 (2) के अंतर्गत अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जाँच तथा उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वकील और सामाजिक कार्यकर्त्ता प्रशांत भूषण के विरूद्ध न्यायालय अवमानना का नोटिस जारी किया उक्त कथन के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (b) होगा।

04 LAC पर अतिरिक्त भारतीय सेनाएं एवं उनके समक्ष चुनौतियां

प्र. अतिरिक्त सेना की तैनाती में प्रमुख चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र 14000-20000 फीट की ऊंचाई में स्थित एक शुष्क इलाका है।
2. यहाँ तापमान-20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।
3. अधिक ऊँचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है जिससे साँस लेने में मुश्किल होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः गौरतलब है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप चीन के आक्रामक रूख को देखते हुए भारत को अभी सीमा पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (d) होगा।

05 इंडिया आइडियाज समिट-2020

प्र. इंडिया आइडियाज समिट-2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वाणिज्य मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब अमेरिकी डॉलर था।
2. अमेरिका उन चुनिंदा देशों में एक है जिसके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिया आइडियाज सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (USIBC) द्वारा आयोजित किया गया था। इस संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

06 सामुदायिक कैंटीन-2.0

प्र. सामुदायिक कैंटीन- 2.0 के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सामुदायिक कैंटीन/रसोई सामान्यतः केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जाने वाला भोजनालय है।
2. सामुदायिक कैंटीन संचालित करने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा को संबोधित करना है।
3. भारत में लगभग 10 से अधिक राज्यों में सामुदायिक कैंटीन चलाई जा रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 के दौर में समाज के कमजोर वग्र के लोगों के लिए पोषण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक कैंटीन एक सस्ता एवं बेहतर विकल्प हो सकता है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं अतः उत्तर (c) होगा।

07 इस्तांबुल अभिसमय और भारत

प्र. इस्तांबुल अभिसमय और भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस अभिसमय में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिला जननांग अंगभंग तथा बलात विवाह को रोकने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
2. इस्तांबुल अभिसमय अगस्त, 2014 से लागू है।
3. इस्तांबुल अभिसमय पर अभी तक यूरोपीय संघ तथा 85 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में पोलैंड ने इस्तांबुल अभिसमय (Istambul Convention) से हटने का निर्णय लिया है। इस अभिसमय पर अभी-तक यूरोपीय संघ तथा 45 देशों (न कि 85 देशों) द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्रकार कथन (3) गलत है। इस्तांबुल अभिसमय के संदर्भ में शेष दोनों कथन सही हैं। अतः उत्तर (a) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 बेईदोउ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम

- हाल ही में चीन ने देश के स्वदेशी नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम (बीडीएस) बेइदोऊ-3 की पूर्ण वैश्विक सेवाओं की औपचारिक शुरुआत कर दी है। चीन की यह नेवीगेशन प्रणाली अमेरिकी के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) को टक्कर दे सकती है।

बेईदोउ सैटेलाइट सिस्टम

- चीन के बेइदोऊ नेविगेशन परियोजना की शुरुआत 1990 के दशक के आरंभ में की गई थी। इस प्रणाली ने वर्ष 2000 से चीन के भीतर सैटेलाइट नेविगेशन की सुविधा प्रदान करना शुरू कर दिया था। 2012 में चीन ने इसका विस्तार एशिया प्रशांत क्षेत्र में जीपीएस सेवाएँ प्रदान करने के लिए किया। इस पूरी प्रणाली में 35 उपग्रहों को स्थापित किया गया है और इसके तीसरी पीढ़ी के उपग्रहों के उन्नयन के साथ यह प्रणाली वैश्विक कवरेज प्रदान करने के लिए तैयार है।
- महत्व: इससे चीन की सेना को स्वतंत्र नेवीगेशन सुविधा मुहैया होंगी। इससे चीन अपनी मिसाइलों को निर्देशित करने के लिए जीपीएस के बदले अपने नेवीगेशन प्रणाली का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान इस प्रणाली का पहले से ही इस्तेमाल कर रह है। साथ ही चीन अपनी बैल्ट एंड रोड परियोजना (बीआरआई) में शामिल देशों को भी इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बेइदोऊ प्रणाली को रूस के ग्लोनास और यूरोपीय संघ के गैलीलियो सिस्टम और अमेरिका के जीपीएस के लिए एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- वर्तमान में चीन के बेईदोउ के अलावा तीन अन्य वैश्विक नेविगेशन प्रणालियां कार्यरत हैं: अमेरिका का जीपीएस सिस्टम, रूस का ग्लोनास, यूरोपियन संघ का गैलीलियो। इनके अलावा दो क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणालिया भी है: भारत का नाविक (IRNSS), जापान का QZSS।

02 अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रियेक्टर (ITER)

- आईटीईआर ऑर्गनाइजेशन, फ्रांस के सैंट-पॉल-लेज-ड्यूरैंस में एक समारोह के साथ आईटीईआर टोकोमक की स्टार्ट ऑफ असेंबली मना रहा है। इसमें आईटीईआर के सभी सदस्य देशों के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भाग ले रहे हैं, या अपना संदेश दे रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रों वर्चुअल माध्यम से इस समारोह की मेजबानी कर रहे हैं।

आईटीईआर प्रोजेक्ट

- यह दुनिया की सबसे बड़ी शोध परियोजनाओं में एक है, जिसके तहत संलयन शक्ति के वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवहार्यता पर काम किया जा रहा है। लिटिल सन के नाम से जाने वाले इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटरल रिएक्टर यानी ITER कहा जाता है। ITER प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2013 में फ्रांस के कराहाश में की गई थी जिसके लिए सभी सदस्य देशों ने इसके निर्माण में वित्तीय सहायता उपलब्ध

कराई थी। इस परियोजना में भारत समेत सात सदस्य (अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, और यूरोपीय संघ) शामिल है।

- भारत औपचारिक रूप से इस परियोजना में 2005 में शामिल हुआ था। भारत को इस परियोजना में क्रायोस्टेट, इन-वॉल शील्डिंग, कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, डायग्नोस्टिक न्यूट्रल बीम सिस्टम, बिजली की आपूर्ति के साथ कुछ डायग्नोस्टिक्स सिस्टम का निर्माण करना था।
- पिछले महीने भारत के लार्सन एंड टूब्रो द्वारा निर्मित क्रायोस्टैट को सफलतापूर्वक रियेक्टर भवन में स्थापित कर दिया गया है। निम्नतापस्थापी या क्रायोस्टैट एक ऐसी युक्ति है जो अपने अन्दर रखी वस्तुओं का तापमान अत्यन्त कम बनाये रखने के लिये प्रयुक्त होती है। एलएंडटी द्वारा निर्मित क्रायोस्टैट रियेक्टर के वैक्यूम वेसल के चारो ओर अभेद कंटेनर बनाकर एक बहुत बड़े रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है।

परियोजना के लाभ

- ये प्रोजेक्ट साल 2025 से काम करना शुरू कर देगा जो प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोतों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही इसके बाद 2040 तक एक डेमो रिएक्टर भी तैयार किया जाना प्रस्तावित है जो बिजली पैदा करने की बड़ी यूनिट होगी। भारत के लिहाज से भी काफी अहम क्योंकि भारत इस प्रोजेक्ट के जरिये 2050 तक परमाणु संलयन प्रक्रिया पर आधारित अपना रिएक्टर भी बना पाएगा।

03 एरोपोनिक्स तकनीक

- कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (KASEZ) गुजरात में कच्छ जिले के शुष्क क्षेत्रों में किसानों के लिए एरोपोनिक्स तकनीक के व्यावसायिक अनुप्रयोग का प्रदर्शन कर रहा है। इसके लिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र एक ऊर्ध्वाधर खेत का निर्माण कर रहा है, यह मृदा रहित ऊर्ध्वाधर खेत लगभग 20 फीट ऊंचाई पर होगा।

एरोपोनिक्स तकनीक क्या है?

- एरोपोनिक्स तकनीक नियंत्रित वातावरण में की जाने वाली एक मृदा रहित कृषि तकनीकी है। इसमें ऊर्ध्वाधर रूप से बहुस्तरीय खेती की जा सकती है, जिससे जमीन के एक छोटे टुकड़े की क्षमता को अधिकतम 22 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर खेती की ऊंचाई 10-20 फीट के बीच हो सकती है और इसे घर के अंदर और बाहर उगाया जा सकता है। इस तकनीक में पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता परंपरागत खेती की तुलना में सिर्फ पांच प्रतिशत ही होती है। इसमें पोषक तत्वों को सीधे जड़ों में पहुंचाया जाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

- विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा सेज (SEZ) उस विशेष रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जहां से व्यापार, आर्थिक क्रिया कलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones) की स्थापना और विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम (Special Economic Zone Act), 2005 बनाया है। गौरतलब है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की शुरूआत 1965 में गुजरात के कांडला से हुई थी। कांडला में एशिया का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Zone) बनाया गया था।

04 नवजात शिशुओं में बिलीरुबिन की जांच हेतु "एजेओनिओ" उपकरण

- एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (एसएनबीएनसीबीएस), कोलकाता के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं में पीलिया के लक्षणों को लेकर बिलीरुबिन के स्तर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक ईजाद की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त अनुसंधान संस्थान एसएनबीएनसीबीएस में प्रोफेसर समीर के. पाल और उनके समूह ने 'एजेओनियो' नामक उपकरण में स्पेक्ट्रोमेट्री आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया है। ध्यातव्य है कि नवजात बच्चों में बिलीरुबिन के स्तर का पता

सावधानीपूर्वक लगाना जरूरी है। बच्चे के खून में बिलीरुबिन के उच्च स्तर के कारण मस्तिष्क को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है।

- एनआरस मेडिकल कॉलेज में एसएनबीएनसीबीएस टीम के अध्ययन के मुताबिक विकसित उपकरण 'एजेओ नीओ' बिलीरुबिन का स्तर पता लगाने में असरदार है। इस उपकरण के जरिए डॉक्टरों को तुरंत ही (10 सेकंड में) रिपोर्ट मिल जाती है। खून से परीक्षण की पारंपरिक पद्धति की तुलना में यह आसान और सुविधाजनक भी है।

बिलीरुबिन क्या है?

- बिलीरुबिन हर मनुष्य के शरीर में एक पीले रंग का द्रव्य होता है, जो खून और मल में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। शरीर में मौजूद रेड ब्लड सेल्स टूटने की वजह से बिलीरुबिन का निर्माण बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जब लिवर बिलीरुबिन के स्तर को संतुलित नहीं बना पाता है या संतुलित करने में असफल रहता है, तो ऐसे में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है। शरीर में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ना जॉन्डिस की दस्तक माना जाता है।

वहीं शिशु के जन्म के दौरान बिलीरुबिन ठीक तरह से विकसित नहीं होने के कारण पीलिया का खतरा बना रहता है और नवजात शिशु में पीलिया की बीमारी हो जाती है।

05 नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क (केआरसीनेट)

- भारत सरकार की 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का लक्ष्य एक विश्व स्तरीय नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क (केआरसीनेट) विकसित करना है।

नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क (केआरसीनेट)

- सूचना प्रौद्योगिकी में हुए उल्लेखनीय विकास को देखते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्रणाली की पारंपरिक पुस्तकालयों का एक शीर्ष नॉलेज रिसोर्स सेंटर (केआरसी) में उन्नयन किया जाएगा। केआरसी को एक-दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा तथा केआरसीनेट पोर्टल के साथ समेकित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बौद्धिक दुनिया में यह एक सिंगल प्वांइट एंट्री होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्रणाली के संसाधन एवं सेवाएं एक एकल प्वांइट गतिशील, अपडेटेड एवं इंटीग्रेटिड केआरसीनेट पोर्टल के जरिये 24 घंटे सुलभ होंगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुख्यालय में एक प्रायोगिक परियोजना विकसित की गई है जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अन्य संस्थानों के साथ समेकित किया जाएगा।

केआरसीनेट के प्रमुख उद्देश्य

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ज्ञान संसाधनों, इसके रखरखाव, सरल पुन:प्राप्ति और प्रसार के प्रलेखन के लिए आईएसओ प्रमाणन सुनिश्चित करने के द्वारा एक कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) प्रणाली की स्थापना करना।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मुख्यालय तथा इसके संस्थानों में उपलब्ध बौद्धिक संसाधनों, उत्पादों तथा प्रोजेक्ट आउटपुट के संग्रह, परितुलन, विश्लेषण, सूचकांक, भंडारण तथा प्रसार करना।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सेवाओं सहित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मुख्यालय तथा इसके संस्थानोंमें उपलब्ध प्रिंट एवं डिजिटल संसाधनों का एक अद्यतन मेटा डाटा का विकास एवं रखरखाव।
- केआरसीनेट पोर्टल के जरिये अभिदत्त ज्ञान तत्वों तक 24 घंटे पहुंच की सुविधा।
- नीति निर्माण के लिए बिबलियोमेट्रिक्स, साईटोमेट्रिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, आदि जैसे सूचना विश्लेषण संबंधी टूल्स एवं तकनीकों का अनुप्रयोग, रिपोर्ट तैयार करना तथा सूचना प्रसार।
- इलेक्ट्रानिक जर्नल्स, डाटाबेस, डिजिटल उत्पाद, डाटा एनालिटिक्स आदि के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सावधिक रूप से प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन।

06 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स् विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना के अंतर्गत मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक कलपुर्जों के निर्माण के संबंध में सैमसंग, पेगाट्रॉन, फ्लेक्स और फॉक्सकॉन जैसे वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज सरकार के साथ वार्ता के अंतिम चरण में हैं।

उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना

- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के भाग के रूप में 1 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था। इसके तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में व्यापक निवेश को आकर्षित करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं।
- इस योजना के तहत भारत में निर्मित और लक्षित क्षेत्रों में शामिल वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष) पर पात्र कंपनियों को 5 वर्ष की अवधि के लिये 4-6 प्रतिशत तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। प्रोत्साहन राशि की गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष माना जायेगा। इस योजना के तहत आवेदन

करने के लिए शुरुआत में 4 महीने का समय दिया गया है, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। इस योजना का कार्यान्वयन एक नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, यह नोडल एजेंसी एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (Project Management Agency-PMA) के रूप में कार्य करेगी।
- सभी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियां अथवा भारत में पंजीकृत इकाईयां योजना के अंतर्गत आवेदन की पात्र होंगी। ये कंपनियां प्रोत्साहन राशि के लिए किसी नई इकाई का निर्माण कर सकती अथवा भारत में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत अपनी मौजूदा इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि की मांग कर सकती हैं। हालांकि, किसी परियोजना के लिए भूमि और इमारतों पर कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को प्रोत्साहन राशि के लिए गणना करते समय निवेश के रूप में नहीं माना जायेगा।

इस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता

- भारत, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में, अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में, पर्याप्त अवसंरचना, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक, उच्च वित्तीय लागत; ऊर्जा की अपर्याप्त आपूर्ति; सीमित डिजाइन क्षमताएं और उद्योगों द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर अपेक्षाकृत का व्यय तथा कौशल विकास में कमी के कारण लगभग 8.5% से 11% का नुकसान होता है। अतः, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) में एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, देश में मुख्य कलपुर्जों को विकसित करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण करना तथा प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

07 नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम

- नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, टिम्बर (लकड़ी), बांस और अन्य वन उपजों के लिए एक ऑनलाइन पारगमन पास जारी करने वाली प्रणाली है। इसे हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है।

प्रारंभ में, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को प्रायोगिक परियोजना के रूप में मध्य प्रदेश और तेलंगाना में प्रारम्भ किया जाएगा।

पात्रता

- इसके लिए आवेदक को सिस्टम में पंजीकरण कराना होता है, उसके बाद ट्रांजिट पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन, संबंधित रेंज के वन कार्यालय में चला जाता है। इसके पश्चात राज्य विशिष्ट प्रक्रियानुसार सत्यापन करने के पश्चात ट्रांजिट पास जारी कर दिया जाएगा। आवेदक, को पास जारी होने का संदेश भेजा जाएगा, और वह पारगमन पास को डाउनलोड कर सकता है।

महत्त्व

- ट्रांजिट पास जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लायेगी। इस प्रणाली से निर्गत किया गया पारगमन पास पूरे भारत में मान्य होगा, तथा इससे वनोपज के निर्बाध आवागमन में वृद्धि होगी।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

t

01

03

05

01 किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार प्रदान किया गया है?

दीपांकर घोष

02 स्कूली छात्रों कक्षा 6 से 11 तक के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है?

विद्यार्थी विज्ञान मंथन

03 किस राज्य की सरकार भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण विकसित करेगी।

उत्तराखण्ड

04 बांग्लादेश में पावर प्लांट के निर्माण के लिए रिलायंस पावर के साथ किस वैश्विक संस्था ने समझौता किया है?

एशियाई विकास बैंक

05 चावल की किस प्रजाति को उसके खारे जलप्रतिरोध गुणवत्ता के भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग मिला है।

पोक्कली चावल

06 किस केन्द्रीय मंत्रालय ने आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए SKOCH गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है?

जनजातीय मामलों के मंत्रालय

07 किस देश ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है जिसमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, सर क्रीक और जूनागढ़ शामिल हैं?

पाकिस्तान

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

01

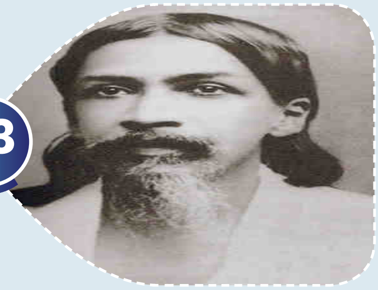

03

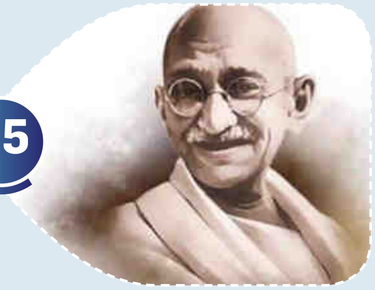

05

01 सबसे बड़ा मानवीय खोज यह जानना है कि मनुष्य बनने के लिए एक मनुष्य को क्या करना चाहिए।

इमैनुएल काण्ट

02 किसी व्यक्ति को उसके उत्तरों के बजाय उसके प्रश्नों से जज (JUDGE) करें।

वोल्टेयर

03 कला अतिसूक्ष्म और कोमल है। अतः अपनी गति के साथ यह मस्तिष्क को भी कोमल और सूक्ष्म बना देती है।

श्री अरबिंदो

04 किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

05 जिस स्वतंत्रता में गलती कर पाने का अधिकार शामिल न हो उस स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है।

महात्मा गांधी

06 मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ।

कन्फ्यूशियस

07 हाँ और नहीं ये दुनियां के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है।

पाईथागोरस

ध्येयIAS®

most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

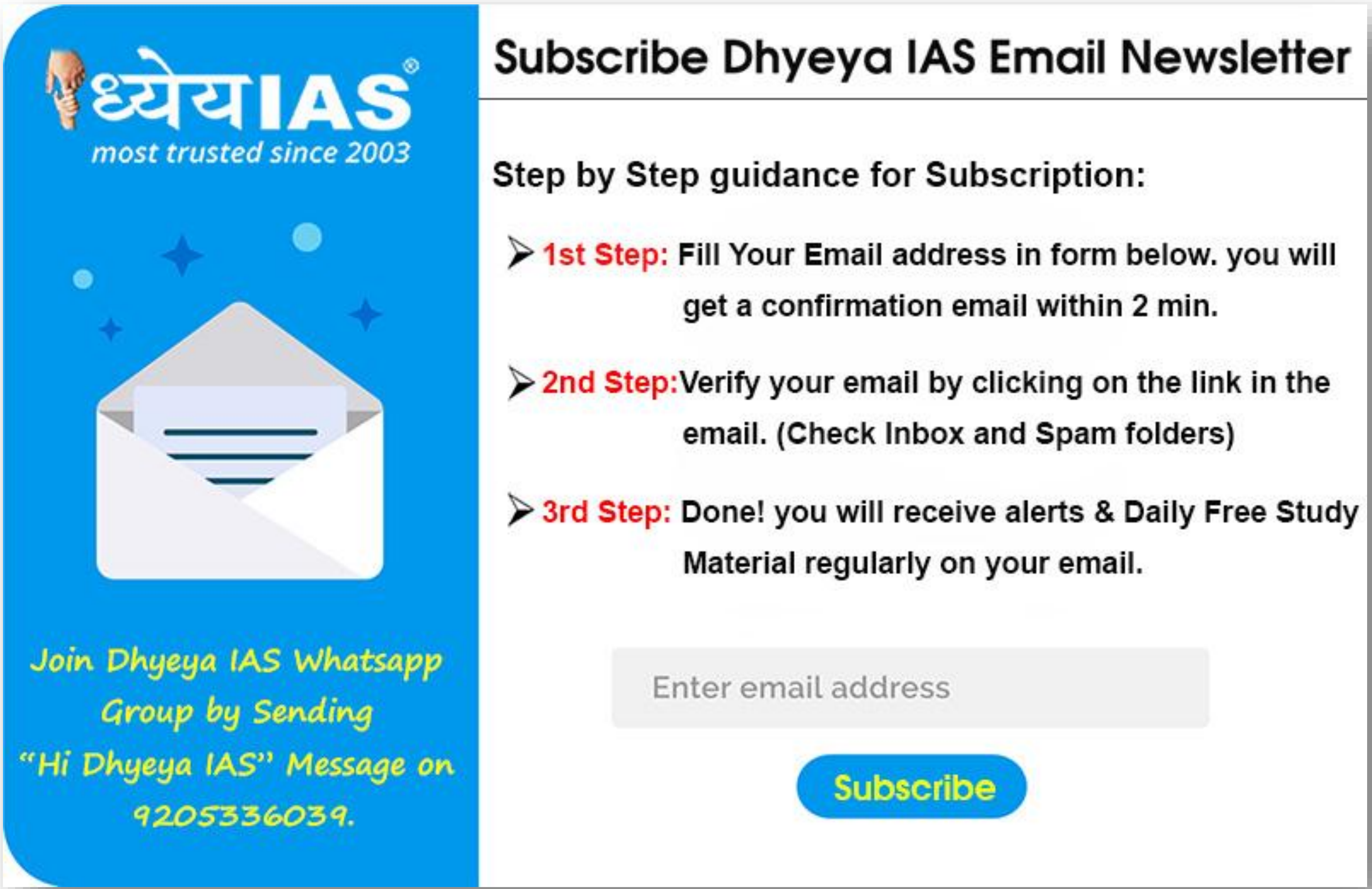

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com